



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की गुरुवार, दिनांक 16.04.2015 को

समय अपरान्ह 4.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है)
02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
1.	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादूर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली, जिला-महासमुन्द	सीट वृद्धि B.Sc. Computer Sc. (पूर्व सीट संख्या - 15) सीट वृद्धि PGDCA (पूर्व सीट संख्या -40)	05 सीट वृद्धि 05 सीट वृद्धि	2014-15	1. डॉ. संजय तिवारी, इलेक्ट्रानिक्स अ. शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर	निरीक्षण तिथि :- 12.02.2015 पत्र क्र. 1999/अका./2014 दिनांक 26.11.2014 के अनुक्रम में महाविद्यालय की सीट वृद्धि के लिये सम्बद्धता निरीक्षण दिनांक 12.02.2015 को किया गया और पाया कि :- 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. वर्तमान में स्ववित्तीय योजना के तहत दो कम्प्यूटर शिक्षक अस्थाई तौर पर कार्यरत है। एक और कम्प्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है। 3. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 26 कम्प्यूटर हैं। छात्रों की संख्या को देखते हुए 10 और कम्प्यूटरों की आवश्यकता है। 4. लाइसेन्स साफ्टवेयर के अंतर्गत Windows XP, Vista तथा MS Office के Single User licence है। Multiple User licence की आवश्यकता है। 5. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुरूप 426 पुस्तकें उपलब्ध है। पाठ्यक्रम के अनुरूप और 10000 रुपये की पुस्तकों की क्रय किया जाना चाहिये।
महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1971-72 शासन का आदेश पृ. क्र. 3-79/2014/38-1 दिनांक 13.08.2014 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 31.10.2014						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
2.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर, जिला-गरियाबंद	B.A. -II - Hindi, English (F.C.), Sociology, Political Sc., History	60	2014-15	1. डॉ. पी.के. शर्मा, समाजशास्त्र अध्ययनशाला पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, प्रबंधन संस्थान, पं. र.शु. वि.वि. रायपुर 3. डॉ. बी. एस. ठाकुर, गणित अध्ययनशाला पं. र.शु.वि.वि. रायपुर	निरीक्षण तिथि :- 22.02.2015 विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 2400/अका./2015 दिनांक 09.01.2015 के पारिपालन में नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर में सत्र 2014-15 के लिए B.A. -II (60 seat) हिन्दी, अंग्रेजी (FC) समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, B.Com. -II (60 seat) सभी अनिवार्य विषय B.Sc. -II (60 seat) FC रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी, सम्बद्धता हेतु दिनांक 22.02.2015 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार तथ्य पाये गये। 1. महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है। 2. महाविद्यालय का स्वयं का भवन नहीं है। महाविद्यालय शास. उ.मा. वि. के 10 कमरों में संचालित है, जिसमें 08 कमरों में अध्यापन एवं 01 कमरा में Lab तथा 01 कमरा में प्राचार्य व कार्यालय है। 3. शासन द्वारा 11 (प्राचार्य एवं शिक्षकों) तथा 05 गैर शैक्षणिक पद स्वीकृत है। 10 शिक्षकों में 03 नियमित तथा 07 अतिथि व्याख्याता है। 05 गैर शैक्षिक में 03 पद में कार्यरत हैं। 4. प्राचार्य के संलग्न पत्र द्वारा ग्रंथागार में सभी विषयों के 692 पुस्तकें हैं। सभी कक्षा एवं विषय के छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 5. विज्ञान विषय के प्रायोगिक कार्य के लिए Lab तथा उपकरण है इसे छात्र एवं कक्षा के अनुपात में मंगाये जाने की आवश्यकता है। 6. अधोसंरचना में स्कूल का फर्नीचर उपलब्ध है। महाविद्यालय में 02 Computer तथा 01 फोटोकॉपी मशीन है।
		महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 2013-14 शासन का आदेश पृ. क्र. 92/आउशि/योजना/2013 दिनांक 20.05.2013 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 06.12.2014				

03. श्री रावतपुरा सरकार संस्थान द्वारा संचालित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के तहत नियुक्ति हेतु प्रेषित पत्र के संबंध में विचार करना।

टीप : श्री रावतपुरा सरकार द्वारा संचालित -

01. श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, कुम्हारी, दुर्ग
02. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अभनपुर, पचेड़ा, रायपुर
03. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कुम्हारी, दुर्ग,
04. श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, धनेली, रायपुर

को दिनांक 27.02.2015 को स्पीड पोस्ट एवं ई-मेल के माध्यम से पत्र निर्गमन तिथि से 8 दिनों का समय देते हुये अंतिम अवसर दिया गया था। निर्धारित अवधि से अधिक समय पश्चात् भी महाविद्यालयों द्वारा परिनियम 28 में नियुक्ति संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। उपरोक्त चार महाविद्यालयों से दिनांक 15.04.2015 को चयन सूची विश्वविद्यालय में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है।

04. शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद में एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र परीक्षा सत्र 2015-16 के लिए 15 सीट के स्थान पर 2 अतिरिक्त सीट के प्रकरण पर विचार करना।

टीप : शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद में सीट वृद्धि के संबंध में महाविद्यालय का पत्र क्र. 1133/2015 दिनांक 21.01.2015 के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र प्रारंभ करने हेतु 15 सीट की अनुमति प्रदान किया गया था। महाविद्यालय के द्वारा दो अतिरिक्त छात्रों का परीक्षा आवेदन फार्म अप्रेषित कर दिये जाने का भी उल्लेख किया है। महाविद्यालय ने सत्र 2014-15 हेतु एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित सीट 15 से 02 अतिरिक्त परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है।

अतः महाविद्यालय द्वारा एम.एस.सी. पूर्व वनस्पति शास्त्र में अपरिहार्य कारणों से 15 सीट के स्थान पर 17 छात्रों को प्रवेश दिये जाने के कारण सत्र 2015-16 के लिये 2 अतिरिक्त प्रवेश को मान्य करने के संबंध में प्रकरण स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत।

05. एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 को अंगीकृत किये जाने के कारण बी.एड., एम.एड. एवं बी.पी.एड. अध्यादेश में संशोधन के अनुमोदन हेतु समन्वय समिति को प्रस्तुत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

टीप : एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.01.2015 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.02.2015 के निर्णयानुसार अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप बी. एड., एम.एड. एवं बी.पी.एड. को द्विवर्षीय पाठ्यक्रम किये जाने के कारण अध्यादेश में संशोधन प्रस्ताव समन्वय समिति को प्रेषित किया गया है, सूचनार्थ।

06. विधि अध्यादेश में संशोधन के अनुमोदन हेतु समन्वय समिति को प्रस्तुत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

टीप : विधि अध्यादेश क्र. 180- **LL.B. THREE YEAR LAW DEGREE COURSE (Semester System)** को अन्य संकायों के सेमेस्टर परीक्षा के साथ एकरूपता हेतु अध्यादेश में संशोधन प्रस्ताव समन्वय समिति को प्रेषित किया गया है, सूचनार्थ।

07. एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के अध्यादेश क्रमांक 88 के संशोधन के संबंध में विचार करना।

टीप : एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के अध्यादेश की धारा 11 में आंशिक संशोधन विश्वविद्यालय के सेमेस्टर अध्यादेश 170 के अनुरूप कराया जाए ताकि ए.टी.के.टी. छात्र/छात्राओं का एक वर्ष खराब होने से बचाया जा सके। अतः संशोधन अध्यादेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

08. श्री साई कालेज, प्लॉट नंबर-286/1,286/2, 291 देउरझाल, नंदनी, दुर्ग (छ.ग.)-490096 को सत्र 2015-16 से बी.एड-100 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : सत्र 2015-16 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में एन.सी.टी.ई. भोपाल के आदेश क्र. F.No.APP1482/217th/B.Ed./2015/131869 Date 25/26-02-2015 की प्रति संलग्न किये हैं। श्री साई कालेज, प्लॉट नंबर-286/1,286/2, 291 देउरझाल, नंदनी, दुर्ग (छ.ग.)-490096 को सत्र 2014-15 हेतु प्राप्त एन.सी.टी.ई. के 7(9) के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए निरीक्षण किया गया था। विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2014 के निर्णयानुसार एन.सी.टी.ई. से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्ताव पुनः रखे जाने की अनुशंसा की गई थी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भोपाल ने Order F.No.APP1482/217th/B.Ed./2015/131869 Date 25/26-02-2015 के द्वारा सत्र 2015-16 से बी.एड. प्रारंभ किये जाने की अनुमति जारी की गई है।

सत्र 2015-16 से प्रारंभ किये जाने हेतु श्री साई कालेज, प्लॉट नंबर-286/1,286/2, 291 देउरझाल, नंदनी, दुर्ग (छ.ग.)-490096 द्वारा सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दी गई है।

09. इंडियन कालेज ऑफ एजुकेशन, स्टेशन रोड महासमुंद को एन.सी.टी.ई. भोपाल द्वारा जारी **Order for shifting of premises** का पत्र क्र. **WRC/QPW04626/723112 (shifting for premises)/215th/2015/131872** Date 24/26-02-2015 पर विचार करना।

टीप : एन.सी.टी.ई. भोपाल द्वारा जारी Order for shifting of premises का पत्र क्र. WRC/QPW04626/723112 (shifting for premises)/215th/2015/131872 Date 24/26-02-2015 के पैराग्राफ 5 के अनुसार NCTE Council द्वारा दिनांक 06.03.2013 को प्रसारित Withdrawal order को समाप्त किया गया है। तथा कौंसिल के आदेशानुसार नये भवन Shifting हेतु आदेशित कर दिया गया है।

अतः एन.सी.टी.ई. कौंसिल के द्वारा Withdrawal order को समाप्त किये जाने एवं भवन में Shift हो जाने के पश्चात् महाविद्यालय द्वारा 2015-16 से सम्बद्धता की निरंतरता हेतु आवेदन प्रस्तुत किये हैं।

10. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर में **Community College** प्रोग्राम के अंतर्गत **Diploma in Hospitality Management** प्रारंभ करने की अनुमति पर विचार करना।

टीप : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.12.2014 में शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर में **Community College** प्रोग्राम के अंतर्गत **Diploma in Hospitality Management** की सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग से आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जा सका।

शासन ने दिनांक 07.03.2015 को विधिवत **Diploma in Hospitality Management** प्रारंभ किये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया है।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.12.2014 को स्वीकृत सम्बद्धता आदेश के निर्णयानुसार महाविद्यालय ने सत्र 2015-16 से पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति चाही है।

11. सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम बंद करने के संबंध में विचार करना।

टीप : कु. शकुंतला सुराना एजुकेशन सोसाइटी, गंजपारा, दुर्ग समिति द्वारा संचालित सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग ने अपने पत्र क्रमांक SSCS/B.Ed./2015/698 दिनांक 26.02.2015 एवं SSCS/B.Ed./2015/706 दिनांक 09.03.2015 के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पश्चिम क्षेत्रिय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.) के नये नियम 2014 के अनुसार महाविद्यालय में संचालित केवल बी.एड. पाठ्यक्रम के संचालन में असमर्थता व्यक्त करते हुए सम्बद्धता समाप्ति के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। एन.सी.टी.ई. भोपाल से पाठ्यक्रम को बंद करने हेतु आदेश अप्राप्त है।

12. एलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ कामर्स एंड मैनेजमेंट, भिलाई में बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम की संचालन बंद करने के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

टीप : कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, 30 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर का पत्र क्र. 221/आउशि/अ.शै.प्र./2014 दिनांक 16.09.2014 के द्वारा एलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ कामर्स एंड मैनेजमेंट, भिलाई में सत्र 2014-15 से महाविद्यालय में संचालित केवल बी.सी.ए. और बी.बी.ए. पाठ्यक्रम बंद किये जाने के पूर्व विश्वविद्यालय को पृष्ठांकित करते हुए सत्र 2013-14 एवं 2014-15 में प्रवेशित छात्र संख्या की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। महाविद्यालय में B.Com- All Compulsory Sub (Seat-60) Add. sub. Computer Sub (Seat-30), B.B.A. (Seat-30), B.C.A.- (Seat-30) पाठ्यक्रम संचालित है।

13.

महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल महाविद्यालय, रायपुर को शासन द्वारा 2011-12 से 2014-15 के मध्य स्वीकृत की गई सीट वृद्धि पर विचार करना।

टीप :

कक्षा	सत्रानुसार सीट वृद्धि एवं शासन का आदेश				कुल सीट
	सत्र 2014-15	सत्र 2013-14	सत्र 2012-13	सत्र 2011-12	
बी.काम. अनिवार्य विषय	20 एफ 17-11/ 2014/38-2 दिनांक 31.01. 2015	30 1944/1243/ 2013/38-2 दिनांक 31.05. 2013		60 1930/1494/ 2011/38 -2 दिनांक 17. 06.2011	110
बी.काम. कम्प्यूटर एप्लिकेशन			30 1869/13701/ सा./2012/ 38-2 दिनांक 24. 05.2012		30
पी.जी.डी.सी.ए.		20 1944/1243/ 2013/38-2 दिनांक 31.05. 2013	30 1869/13701/ सा./2012/ 38-2 दिनांक 24. 05.2012		50

संचालित पाठ्यक्रम	शिक्षकों की संख्या
प्राचार्य	01
बी.काम. एवं एम.काम.	06
बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस, गणित, भौतिकी)*	01-गणित
कम्प्यूटर साइंस (बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., पी.जी.डी.बी.एम.)	03
बी.बी.ए.	04
बी.एड.	07

- (1) भौतिक शास्त्र विषय में विज्ञापन के पश्चात् भी उपयुक्त प्रत्याशि नहीं मिलने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी है।
- (2) *बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस पाठ्यक्रम वर्तमान में सत्र 2013-14 से संचालित नहीं हो रहा है।
- (3) विनियम 129 के अनुसार महाविद्यालय के पास 5 एकड़ की भूमि दो जगह (4.099 एकड़ (1.659 हेक्टेयर) ग्राम गुजरा-रायपुर एवं 2 एकड़ समता कालोनी रायपुर) पर स्थित है।
- (4) 35 लाख इण्डोमेंट की राशि विभिन्न सावधि खातों में जमा है।
- (5) कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अंतर्गत भौतिक शास्त्र विषय को छोड़कर पूर्ण कर ली गई है।

14.

एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन के कंडिका 3 के अनुसार अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हेतु संबंधित संस्थान/महाविद्यालय का निरीक्षण कराये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन के कंडिका 3 के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान है -

- (क) नए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए जिनको संयुक्त संस्थानों द्वारा मान्यता हेतु संचालन किया जायेगा,

- (ख) परिषद् द्वारा विधिवत् रूप से मान्यता प्रदत्त मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थानों में नए कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति,
- (ग) परिषद् द्वारा विधिवत् रूप से मान्यता प्रदत्त मौजूदा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में अतिरिक्त प्रवेश क्षमता के लिए अनुमति,
- (घ) मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थानों को स्थान बदलने अथवा परिसर का स्थान बदलने की अनुमति,
- (ङ) स्थिति अनुसार मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों संस्थानों के समापन अथवा बन्द करने के लिए अनुमति, शर्त यह है कि मुक्त तथा दूरस्थ अधिगम के जरिए चलाए जा रहे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के मामले में ऐसे प्रत्येक अधिगम कार्यक्रम के लिए संबंधित मानदंड और मानक लागू होंगे।

अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के पूर्व संबंधित महाविद्यालय से आवेदन प्राप्त होने पर एन. सी.टी.ई. रेगुलेशन के आधार पर प्रत्येक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आधारभूत संरचना जैसे भवन, फर्नीचर संबंधी उपलब्धता हेतु तीन सदस्यीय निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण कराया जाना उचित होगा।

15. (A) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक/एम.एड./मान्यता/2012/5746 रायपुर, दिनांक 11.12.2012 के अनुसार 31 जनवरी 2013 तक सभी एम.एड. महाविद्यालय को NAAC प्रत्यायन की अनिवार्यता की जानकारी।

(B) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड. संचालित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी हेतु।

16. शोध प्रबंध जमा करते समय शोध पत्र का प्रकाशन मान्य किये जाने मापदण्ड विषयक।

टीप : कार्यालयीन टीप संलग्न है।

17. सत्र 2014-15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

1	अग्रसेन महाविद्यालय, धनोरा, जिला-दुर्ग
2	अलशम्स इंफोटेक कालेज, नगरी (सिहावा), जिला-धमतरी
3	नवीन शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा, जिला-राजनांदगांव
4	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान हॉलीडे रिसॉर्ट के पीछे, कुम्हारी, जिला-दुर्ग
5	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कुम्हारी, जिला-दुर्ग (2013-14 एवं 2014-15)
6	श्री रावतपुरा सरकार कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम-धनेली, पो.-माना, रायपुर
7	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेडा, अभनपुर, जिला-रायपुर (2013-14 एवं 2014-15)

18. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।


कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 2761 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 11/02/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 09.02.2015 अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
4.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
5.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
6.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	—	सदस्य
7.	डॉ. एस.सी. नैथानी	—	सदस्य
8.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	—	सदस्य
9.	डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज	—	सदस्य
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 12.01.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 12.01.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा. महासमुंद	M.Sc.-Prev. Botany M.Sc. -Prev. Maths	15 15	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 10.01.2015</p> <p>1. एम.एस.सी. गणित (प्रथम सेमेस्टर) में 15 छात्रों के लिये अधोसंरचना पर्याप्त है। महावि. में केवल दो शिक्षक की पदस्थापना है दो शिक्षकों की नियुक्ति और आवश्यकता होगी, पुस्तकालय में पुस्तकें अपर्याप्त है, जिसे विषयवार छात्र अनुपात से क्रय किया जाना आवश्यक है।</p> <p>2. एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र में 15 छात्रों के लिये महाविद्यालय में निम्न सुविधायें हैं – (A) केवल एक कक्ष है जिसमें प्रयोगिक एवं सैद्धांतिक कक्षाएँ लगती हैं, प्रायोगिक उपकरण अपर्याप्त</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
<p>महाविद्यालय का स्थापना वर्ष -- 1964-65 शासन का आदेश पृ. क्र. एफ 3-87/2014/38-1 रायपुर दिनांक 22.08.2014 महाविद्यालय का आवेदन तिथि -- 07.10.2014</p>						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>है. महाविद्यालय में केवल एक नियमित शिक्षक पदस्थ हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या पर्याप्त है।</p> <p>3. महाविद्यालय में एम.एस.सी. गणित के लिये 15 छात्रों की अनुमति है लेकिन 17 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। इसी प्रकार वनस्पति शास्त्र में 15 छात्रों की अनुमति है लेकिन 21 छात्रों को प्रवेश दिया गया है एवं रसायन शास्त्र में 25 छात्रों के लिए अनुमति है लेकिन 60 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।</p>	
2.	नवीन शासकीय महाविद्यालय मगरलोड, जिला-धमतरी	<p>B.Sc. -III - (F.C.-Hindi & English, Env. Studies, Chemistry, Botany, Zoology,)</p> <p>B.A. -III - (F.C.-Hindi & English, Env. St., Geography, Sociology, History)</p> <p>B.Com. -III Compulsory Subject, Env.Sc.</p>	60	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 19.01.2015</p> <p>पं. र.वि.वि. रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 1879/अका./2014 रायपुर दिनांक 17.11.2014 के परिपालन में नवीन शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड जिला-धमतरी का आज दिनांक 20.01.2015 को नियुक्ति त्रिसदस्यीय समिति ने निरीक्षण किया। ग्रंथालय में पुस्तकें कम हैं। शासन से प्राप्त आबंटन से अथवा जनभागीदारी मद से यथाशीघ्र पुस्तकें क्रय की जावें। महाविद्यालय वर्तमान में शास. प्राथमिक शाला के पाँच कमरों में संचालित है। भवन निर्माणाधीन है। बी.एस.सी. की प्रायोगिक कक्षाएँ शास. महा. कुरुद में भी संचालित होती हैं। महा. में दो नियमित (कामर्स एवं हिन्दी) एवं 8 संविदा सहा. प्राध्यापक नियुक्त हैं।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
	<p>महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 2012-13 शासन का आदेश क्र. 2566/एफ 3-65/2011/38-1 रायपुर दिनांक 05.07.2012 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 16.10.2014</p>					
3.	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महा. गरियाबंद	M.A. Final Political Science	40	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि - 28.01.2015</p> <p>महाविद्यालय शासकीय स्कूल में संचालित है। कक्षाएँ पर्याप्त हैं। राजनीति विज्ञान में एक अतिथि तथा नियमित व्याख्याता कार्यरत हैं। राजनीति विज्ञान में एक सहायक प्राध्यापक तथा रू. 30,000/- की स्नातकोत्तर की पुस्तकें क्रय करने की शर्त</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
	<p>महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1983-84 शासन का आदेश क्र. 320/69/आउशि/योजना /13 दिनांक 04.07.2013 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 08.12.2014</p>					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					पर सत्र 2014-15 से राजनीति विज्ञान में कक्षाएँ खोलने की 25 सीट की अनुमति हेतु पात्रता है।	
4.	शासकीय कोदूराम दलित महावि. नवागढ, जिला-बेमेतरा	M.A. Final - Sociology B.A. II- History B.A. -III History	20 45 45	2005-06 2005-06 2006-07	निरीक्षण तिथि -13.01.2015 विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 2252/अका./2014 दिनांक 17.12.2014 के परिपालन में M.A. समाजशास्त्र सीट-20 (2005-06) बी.ए. भाग-II इतिहास सीट 45 (2005-06) तथा बी.ए. भाग-II इतिहास सीट 45 (2006-07) के लिए विश्वविद्यालय से संबद्धता हेतु शास. कोदूराम दलित महा. नवागढ जिला-बेमेतरा का निरीक्षण दिनांक 13.01.2015 को किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है - 1. महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य है। 2. महाविद्यालय का स्वयं का भवन है एवं अधोसंरचना पर्याप्त है। 3. महाविद्यालय में 01 प्राचार्य एवं 06 सहा.प्राध्यापक का पद स्वीकृत है, जिसमें 2 प्राध्यापक नियमित एवं 05 अतिथि प्राध्यापकों से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। 4. ग्रंथालय में समस्त विषयों को मिलाकर 17470 पुस्तकें हैं, तीनों कक्षाओं के छात्रानुपात में पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1988-89 शासन का आदेश क्र. पृ. क्र. एफ 73-155/2003 /38 रायपुर दिनांक 04.09.2003 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 18.11.2003						
कार्यालयीन टीप :- महाविद्यालय को सत्र 2004-05 में बी.ए. इतिहास प्रथम वर्ष एम.ए. पूर्व समाजशास्त्र की सम्बद्धता प्राप्त की है। महाविद्यालय ने बी.ए. इतिहास द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (सत्र 2005-06 एवं 2006-07), एम.ए. अंतिम समाजशास्त्र (सत्र 2005-06) के लिए दिनांक 07.11.2014 को आवेदन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करने के कारण आदेशानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया।						

03. शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी-सिहावा जिला-धमतरी के एम.ए. अंतिम हिन्दी (छात्र संख्या-50) की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.04.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी-सिहावा जिला-धमतरी को सत्र 2006-07 से एम.ए. अंतिम हिन्दी के स्थान पर एम.ए. पूर्व हिन्दी हो गया था, जिसे महाविद्यालय के निवेदन पर संशोधन किया गया। संशोधन की सूचना ग्रहण की गई।

04. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय वैशालीनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर का आदेश पृ. क्र. एफ 73/48/उ.शि./2003 दिनांक 21.04.2003 शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय वैशालीनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग का नाम परिवर्तन कर *इंदिरा गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग* किये जाने की अनुशंसा की गई।

05. श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट समिति द्वारा प्रस्तावित नवीन विधि महाविद्यालय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.07.2012 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.07.2012 के निर्णयानुसार, श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट समिति द्वारा संचालित महाविद्यालयों में परिनियम 27 एवं 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किया है, अतः नया विधि महाविद्यालय (बी.ए.एल.एल.बी. एवं एल.एल.बी.) की स्थापना एवं सम्बद्धता हेतु कार्यवाही को आगामी आदेश तक स्थगित रखा जावे। संबंधित महाविद्यालय को सूचना दी जावे।

06. गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर के बी.एस.सी. बायो ग्रुप एवं बी.काम. की स्थायी सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर को आगामी तीन वर्षों के लिए बी.एस.सी. (रसायन, वनस्पति शास्त्र, एवं प्राणी शास्त्र) तथा बी.काम. सभी अनिवार्य विषयों में स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

अशैक्षणिक स्टाफ 2008 से कार्यरत है परंतु परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त नहीं है। अतः 3 माह के अंदर परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति किया जाय अन्यथा 1 वर्ष बाद स्थायी सम्बद्धता समाप्त किया जाएगा।

07. सत्र 2014-15 की वार्षिक सम्बद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

1	शासकीय महाविद्यालय गोबरा- नवापारा, जिला- रायपुर (2013-14)
2	शास. कमला देवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
3	शास. के.एल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला-महासमुन्द्र
4	शास. बी.पी. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, आरंग, जिला-रायपुर
5	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग, जिला-गरियाबंद (2013-14 एवं 2014-15)
6	शास. महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी
7	जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)
8	पं. देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय, साजा, जिला-बेमतरा (2013-14)

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2013-14 एवं 2014-15 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. परिनियम क्र.-14 (Honorary Degree) के प्रावधानानुसार गठित समिति द्वारा प्रो. गोवर्धन मेहता, लिली-जुबलियंट चेयर प्रोफेसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद को दिनांक 21 फरवरी, 2015 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामय इक्कीसवाँ दीक्षांत समारोह में परिनियम 14 के प्रावधानानुसार उनकी उपलब्धियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यक्षेत्र में राष्ट्र के लिए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की डी.एस-सी. (विज्ञान संकाय) की मानद उपाधि प्रदान करने संबंधी अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।
02. शोध छात्रों द्वारा शोध रूपरेखा एवं शोध प्रबंध के मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व Plagiarism की जांच के संबंध में सुझाव एवं अभिमत के लिए गठित समिति की अनुशंसा में आंशिक संशोधन करते हुए मान्य किया गया :-

Guidelines for Plagiarism Check


1. A Plagiarism Check using either Turnitin or iThenticate software is mandatory prior to the submission of synopsis and the thesis.
 2. The following criteria of exclusion will be followed while generating the Plagiarism Report:
 - a) Quotes
 - b) Bibliography
 - c) Phrases
 - d) Small matches up to 10 words
 - e) Small similarity less than 1%
 - f) Mathematical Formula
 - g) Name of Institutions, Departments etc.
 3. If the student has published paper(s) that has/have been included in the thesis should be excluded while checking for Plagiarism.
 4. Published Paper will also be checked for plagiarism. If any part of the paper is detected under plagiarism has similarity with the text also included in the thesis will be referred as plagiarism in the thesis.
 5. The final Plagiarism report will be issued by the Library and will be forwarded to the Chairman of the DRC of the respective subject.
 6. The Plagiarism Verification Report, following its validation by the Chairman of the DRC of the respective subject, will be appended by the student in his/her thesis.
 7. The student must use following fonts while typesetting the synopsis and the thesis: (a) For English (Times New Roman/ Arial); (b) For Hindi (Kriti Dev 010/ 011).
03. शोध छात्रों द्वारा शोध सारांश अथवा शोध प्रबंध जमा करते समय कम से कम एक शोध पत्र प्रकाशन के संबंध में विचार कर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार जर्नल में शोध पत्र का प्रकाशन मान्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

To enhance the quality of research, our university is in the process of redefining and revising the guidelines for "Standard Research Journals. In the recently [January 7, 2014] held meeting of Deans chaired by Kulpati, Pt.RSU following norms have been proposed for rating "Standard Journal" :

1. The journal referred in the list of SCI [Science Citation Index]/SSCI [Social Science Citation Index] /A&HCI [Arts & Humanities Citation Index] of Thomson Reuters

2. National Academy Journals
3. All research journals published by Govt. of India or Govt. aided agencies
4. All subject based society journals with at least 20 years of standing with regular publications
5. List of all the research journals approved by other universities recognized UGC
6. Journal of Pt. Ravishankar Shukla University

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 2762 / अका./ वि.प.स्थायी समिति/2015

रायपुर, दिनांक: 11/02/2015

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

PRINCIPAL

Handwritten signature and date

क	महाविद्यालय का नाम	कक्षा का नाम	वर्तमान	श्री	श्री	श्री
1		3	4	5	8	
1	शासकीय दूधो महिला स्नातको. महावि. रायपुर	एमएचएचएचो गणित	30	5	35	
2	शा. बहीश्याम महावि. आर.प.	श्रीकर्मयोग्यम वर्ध	80	20	100	
		श्रीकर्मयोग्यम वर्ध	160	30	190	
		श्रीकर्मयोग्यम वर्ध	64	11	75	
		श्रीकर्मयोग्यम वर्ध	64	11	75	
3	शा. महावि. बिनाईनाट विद्या-बलीदाबाजार	श्रीकर्मयोग्यम वर्ध	255	45	300	
4	श्रीकर्मयोग्यम शा. स्नातको. महावि. धमली	एमएचएचएचो	20	5	25	
5	शासकीय महावि. मखार	श्रीकर्मयोग्यम वर्ध	160	30	190	
		श्रीकर्मयोग्यम वर्ध	60	10	70	
		श्रीकर्मयोग्यम वर्ध	120	25	145	
		श्रीकर्मयोग्यम वर्ध	40	10	50	
		एमएचएचएचो-श्रीसाहित्य	25	5	30	
6	शासकीय दूधो बालबालिका कन्या स्नातको. महावि. दूरी।	एमएचएचएचो गणित (आर.प. प्र. वर्ध)	16	4	20	
7	शासकीय दूधो स्नातको. महावि. बिनाई-3 दूरी	एमएचएचएचो	30	5	35	
8	शासकीय दूधो स्नातको. महावि. पाटन	एमएचएचएचो	30	5	35	
9	शासकीय दूधो गुराम महावि. उरई	श्रीकर्मयोग्यम वर्ध	60	10	70	
10	शा. महावि. खरया विद्या-बलीदा	श्रीकर्मयोग्यम वर्ध	60	10	70	
11	शा. महावि. गुरु विद्या-बलीदा	श्रीकर्मयोग्यम वर्ध	60	10	70	
		श्रीकर्मयोग्यम वर्ध	60	10	70	
		श्रीकर्मयोग्यम वर्ध	120	20	140	

क. एक 3-79/2014/38-1 :: राज्य शासन परदेस शासकीय महाविद्यालयों में उनके समक्ष दायित्व गण विषयों में निम्नलिखित तालिका के क्रम में 05 अगस्त आतिरवत शीट संख्या में वृद्धि करवा है:-
 रायपुर, दिनांक 13/08/2014

:: आदेश ::

महानदी भवन, नया रायपुर

:: मजाल ::

उच्च शिक्षा विभाग
 उल्लेखित शासन

Handwritten stamp with date 20/8/14 and other illegible text

12	शास. महावि. मंगुचवा जिला-बालोद	बी०ए०प्रथम वर्ष	60	10	70
		बी०एस०सी०प्रथम वर्ष	60	10	70
13	शास दिग्विजय महावि. राजनांदगांव	डी०सी०ए०	30	5	35
		पी०जी०डी०सी०ए०	30	05	35
14	शानी रशिमदेवी सिंह शास. महाव. खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव	बी०ए०प्रथम वर्ष	160	30	190
		बी०एस०सी० बायो ग्रुप प्रथम वर्ष	160	30	190
15	शास.रानी सूर्यमुखी देवी महावि. छुरिया जिला-राजनांदगांव	बी०ए०प्रथम वर्ष	120	25	145
16	शास.लाल चकधर शाह महावि. अम्यागढ़ चौकी जिला-राजनांदगांव	बी०एस०सी० प्रथम वर्ष बायोग्रुप	100	20	120
		बी०एस०सी० प्रथम वर्ष गणितग्रुप	50	10	60
17	शास.राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महावि. कवर्धा जिला-कबीरधाम	बी०एस०सी०प्रथम वर्ष बायोग्रुप	100	20	120
18	शास. दन्तेश्वरी स्नातको. महावि. दन्तेवाडा	बी०ए०प्रथम वर्ष	180	35	215
		बी०एस०सी० (बायो) प्रथम वर्ष	90	20	110
19	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय दन्तेवाडा	बी०ए०प्रथम वर्ष	60	10	70
		बी०एस०सी० (बायो) प्रथम वर्ष	60	10	70
20	शास. पातालेश्वर महावि. मस्तुरी जिला-बिलासपुर	बी०एस०सी०बायोग्रुप प्रथम वर्ष	60	10	70
		बी०एस०सी०गणित ग्रुप प्रथम वर्ष	60	10	70
		एम०ए०हिन्दी साहित्य	20	05	25
21	शास.एम.एल.एस. महावि. सीपत जिला-बिलासपुर	बी०एस०सी० प्रथम वर्ष बायो समूह	40	10	50
		बी०एस०सी० प्रथम वर्ष गणित समूह	40	10	50
		बी०कॉम० प्रथम वर्ष	40	10	50
22	शास. प्रतापराव महावि. रतनपुर जिला-बिलासपुर	बी०कॉम० प्रथम वर्ष	40	10	50
		बी०एस०सी०कम्प्यूटर साइंस	15	05	20
23	शास. स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय नारायणपुर	बी०ए०भाग.1/2/3	60	10	70
		बी०एससी० भाग -1/2/3	60	10	70
		बी०कॉम०भाग 1/2/3	60	10	70
		एम०ए०पूर्व अर्थशास्त्र	20	05	25
		एम०ए०पूर्व समाजशास्त्र	20	05	25
		एम०ए०पूर्व राजनीतिशास्त्र	20	05	25
		एम०ए०पूर्व भूगोल	20	05	25
		एम०ए० अंतिम समाजशास्त्र	20	05	25
		एम०ए०अंतिम राजनीतिशास्त्र	20	05	25
		एम०ए०अंतिम भूगोल	20	05	25
24	शास.ई.वि. स्नातको. महावि. कोरवा	पी०जी०डी०सी०ए०	40	05	45
		पी०जी०डी०बी०एम०	40	05	45
25	शास.ग्राम्य भारतीय महावि. हरदीबाजार जिला-कोरवा	बी०कॉम० प्रथम वर्ष	80	15	95
		बी०एस०सी० प्रथम बायो समूह	160	30	190
		एम०एस०सी० पूर्व भौतिक समूह	30	05	35

		एम०एस०सी०पूर्व रसायन शास्त्र	25	05	30
		एम०एस०सी०पूर्व गणित	30	05	35
		एम०एस०सी०पूर्व प्राणीशास्त्र	30	05	35
		एम०एस०सी०पूर्व वनस्पति शास्त्र	30	05	35
26	शासकीय महाविद्यालय करतला जिला-कोरवा	बी०ए०प्रथम वर्ष	60	10	70
		बी०एस०सी० बायोसमूह	60	10	70
27	शासकीय महाविद्यालय भेसमा जिला-कोरवा।	बी०ए०प्रथम वर्ष	160	30	190
		बी०कॉम० प्रथम वर्ष	40	05	45
		एम०ए०समाजशास्त्र	20	05	25
		एम०कॉम०	20	05	25
28	शासकीय नवीन महाविद्यालय बलौदा जिला-जांजगीर चांपा	बी०ए०प्रथम वर्ष	80	15	95
		बी०एस०सी०बायो समूह	60	10	70
29	शासकीय कांती कुमार भारतीय महावि. सक्ती जिला-जांजगीर चांपा	बी०ए०प्रथम वर्ष	70	15	85
		बी०कॉम०प्रथम वर्ष	30	05	35
		बी०एस०सी० प्रथम वर्ष	50	10	60
30	शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरौदा जिला- जांजगीर चांपा	बी०ए०प्रथम वर्ष	150	30	180
		बी०एस०सी० प्रथम वर्ष बायोग्रुप	100	20	120
		एम०ए०पूर्व संस्कृत	40	05	45
31	शासकीय महाविद्यालय उदयपुर जिला-सरगुजा	बी०ए०प्रथम वर्ष	80	20	100
		बी०कॉम० प्रथम वर्ष	30	05	35
		बी०एस०सी० प्रथम वर्ष	30	05	35
32	शासकीय महाविद्यालय बागबाहरा जिला-महासमुंद	बी०ए०भाग-1	180	35	215
		बी०एस०सी०भाग-1गणित	50	10	60
		बी०एस०सी०भाग-1बायो	50	10	60
33	शासकीय वेदराम महावि. मालखरौदा जिला-जांजगीर चांपा	बी०ए०भाग-1	160	30	190
		बी०एस०सी० प्रथमबायो ग्रुप	50	10	60
		बी०एस०सी० प्रथम गणित ग्रुप	10	05	15
34	शास.मानुप्रतापदेव महावि.कांकर	बी०ए०भाग-1	320	65	385
		बी०एस०सी०-भाग1	160	30	190
		बी०कॉम०भाग-1	160	30	190
		एम०कॉम०पूर्व	10	05	15
		एम०ए०पूर्व इतिहास	10	05	15
		एम०ए०पूर्व हिन्दी	10	05	15
		एम०ए०पूर्व अर्थशास्त्र	10	05	15
		एम०ए०पूर्व समाजशास्त्र	10	05	15
		एम०ए०पूर्व राजनीति शास्त्र	10	05	15
		एम०ए०पूर्व भूगोल	10	05	15
		पी०जी०डी०सी०ए०	30	05	35
		डी०सी०ए०	30	05	35


1. प्रयोगिक एवं आधुनिक पद्धत आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्वीचों से
2. फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्वीचों से
3. परिवार में किसी भी प्रकार का अवरोध तथा अनावर्ती व्यय से बचाने का उपाय नहीं दिया जाता।

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सीट वृद्धि की जायेगी :-

45	05	40	श्रीमती कृष्णा देवी
20	05	15	श्रीमती कृष्णा देवी
45	05	40	श्रीमती कृष्णा देवी
20	05	15	श्रीमती कृष्णा देवी
20	05	15	श्रीमती कृष्णा देवी
30	05	25	श्रीमती कृष्णा देवी
30	05	25	श्रीमती कृष्णा देवी
30	05	25	श्रीमती कृष्णा देवी
30	05	25	श्रीमती कृष्णा देवी
30	05	25	श्रीमती कृष्णा देवी
60	10	50	श्रीमती कृष्णा देवी
65	10	55	श्रीमती कृष्णा देवी
30	05	25	श्रीमती कृष्णा देवी
35	05	30	श्रीमती कृष्णा देवी
35	05	30	श्रीमती कृष्णा देवी
35	05	30	श्रीमती कृष्णा देवी
95	15	80	श्रीमती कृष्णा देवी
95	15	80	श्रीमती कृष्णा देवी
35	05	30	श्रीमती कृष्णा देवी
285	45	240	श्रीमती कृष्णा देवी
70	10	60	श्रीमती कृष्णा देवी
70	10	60	श्रीमती कृष्णा देवी
70	10	60	श्रीमती कृष्णा देवी
70	10	60	श्रीमती कृष्णा देवी
70	10	60	श्रीमती कृष्णा देवी
200	37	163	श्रीमती कृष्णा देवी
150	25	125	श्रीमती कृष्णा देवी
70	10	60	श्रीमती कृष्णा देवी
70	10	60	श्रीमती कृष्णा देवी
70	10	60	श्रीमती कृष्णा देवी
145	25	120	श्रीमती कृष्णा देवी
20	05	15	श्रीमती कृष्णा देवी
45	05	40	श्रीमती कृष्णा देवी
38	05	40	श्रीमती कृष्णा देवी
39	05	40	श्रीमती कृष्णा देवी
40	05	40	श्रीमती कृष्णा देवी
41	05	40	श्रीमती कृष्णा देवी
42	05	40	श्रीमती कृष्णा देवी

//5//

4. यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव जुलाई, 2014 से प्रभावशील रहेगा।
5. उपरोक्त महाविद्यालयों के उपरोक्त पाठ्यक्रम/विषय में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 14.08.2014 के स्थान पर 30.08.2014 होगी।


13/08/14


(अरुण कुमार चांदे)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 13/08/2014


पु.क्रमांक एफ 3-79/2014/38-1
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक मान. मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
2. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
4. कलेक्टर, जिला -
5. डॉ. व्ही.के.गोयल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0),
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला -
7. संबंधित प्राचार्य।
8. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- आदेश फोल्डर।


13/08/14


अवर सचिव


छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग


PRINCIPAL

Late Raja Virendra Bahadur Singh
Govt. College Saraipali (C. G.)


PRINCIPAL
Late Raja Virendra Bahadur Singh
Govt. College Saraipali (C. G.)


PRINCIPAL
Late Raja Virendra Bahadur Singh
Govt. College Saraipali (C. G.)






20/8/14

परिविषय 27
रायपुर

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / आउशि / ब.योजना / 2013
प्रति,

रायपुर दिनांक

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय
गरियाबंद जिला- गरियाबंद (छ.ग.)

विषय:- मैनुपुर जिला-गरियाबंद में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने बाबत ।
संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 1728/एफ 3-42/ 2013/ 38-1
रायपुर, दिनांक 09.05.2013 ।

---000---

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार मैनुपुर में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है । महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय चालू शैक्षणिक सत्र 2013-14 में प्रारंभ करने तथा कुल 19 पदों के सृजन की स्वीकृति वित्त विभाग की यू.ओ. क्रमांक 195/2013-38-00021/वित्त विभाग/ब- 3/2013 दिनांक 07.05.2013 द्वारा सहमति प्रदान की गई है । उक्त पदों का वर्गीकरण विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पदनाम	पदसंख्या	वेतनमान
शैक्षणिक पद			
1	प्राचार्य	01	37400-67000 AGP रु 10000+ 2000 विशेष वेतन
2	सहायक प्राध्यापक (अ) विज्ञान संकाय(गणित) (गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र)	03	15600-39100 AGP रु 6000
	(ब) कला संकाय (हिन्दी अंग्रेजी इतिहास, राजनीतिशास्त्र ,समाजशास्त्र)	05	15600-39100 AGP रु 6000
	(स) वाणिज्य संकाय	02	15600-39100 AGP रु 6000
अशैक्षणिक पद			
3	सहायक ग्रेड-1	01	5200-20200 AGP रु 2800
4	सहायक ग्रेड-2	01	5200-20200 AGP रु 2400
5	सहायक ग्रेड-3	01	5200-20200 AGP रु 1900
6	प्रयोगशाला तकनीशियन	03	5200-20200 AGP रु 2400
	भृत्य	02	4750- 7440 AGP रु 1300

उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 मांग संख्या -41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना - 2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना-(103) सरकारी कालेज और संस्थाएं-(798)-कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अन्तर्गत विकल्पनीय होगा ।
प्रत्येक संकाय में 60 सीट की अनुमति प्रदान की जाती है ।


(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक (के)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक १११ / आउशि / योजना / 2013
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक 20/5/13

1. विशेष सहायक, मा. मंत्री जी, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग नया मंत्रालय रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, नया मंत्रालय रायपुर की ओर उनके य यू. ओ. क्रमांक 195/2013-38-00021/वित्त विभाग/ब-3/2013 दिनांक 07.05.2013 के संदर्भ में।
3. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर ।
4. कलेक्टर, गरियाबंद, जिला - गरियाबंद (छ.ग.) ।
5. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला - गरियाबंद जिला - गरियाबंद ।
7. कुल सचिव, प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर नवीन महाविद्यालय को संबद्धता प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
8. संयुक्त संचालक (राजपत्रित/अराजपत्रित) उच्च शिक्षा संचालनालय ।
9. संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर ।
10. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



संयुक्त संचालक (कं.)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर,
महाविद्यालय, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

Email - pgcollege.mahasamund@gmail.com, Phone- (07723) 222048

क्रमांक / 1133 / 2015

महासमुन्द, दिनांक 31/01/2015

प्रति,

कुल सचिव,
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय —: एम.एस-सी वनस्पति शास्त्र प्रथम सेमेस्टर में 02 अतिरिक्त छात्रों को परीक्षा में बैठने अनुमति प्रदान करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.एस-सी वनस्पति शास्त्र प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस कक्षा के लिए 15 सीट निर्धारित है। परन्तु अपरिहार्य कारणों से 02 अतिरिक्त छात्रों का परीक्षा आवेदन फार्म अग्रेषित कर दिया गया है।

कृपया सत्र 2014-15 हेतु एम.एस-सी वनस्पति शास्त्र प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित सीट 15 से 02 अतिरिक्त परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। भविष्य में प्रवेश हेतु निर्धारित सीट का ध्यान रखा जावेगा।

Head
Dept. of Botany
Govt. M.V.P.G. College
Mahasamund (C.G.)

शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, महासमुन्द (छ.ग.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष | 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E.mail.- academicprsu@gmail.com



क्र. 3274 /अका./2015

रायपुर, दिनांक: 8/04/2015

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा,
ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल,
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय : विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से रखे जाने हेतु प्रस्ताव के संबंध में।

=0=

महोदय,

विषयांतर्गत के संबंध में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से रखे जाने हेतु निम्नांकित प्रस्ताव प्रेषित है -

क्र	परिनियम/अध्यादेश	कार्यपरिषद् की बैठक में अनुमोदित
1	New Ordinance No. 184, Integrated M.Sc. programme of CBS <i>प्रपत्र-1 (पृष्ठ क्र. 1-8)</i>	विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 04.03.2015 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.03.2015
2	New Ordinance No. 185, Bachelor of Education (B.Ed. Semester System) <i>प्रपत्र-1 (पृष्ठ क्र. 9-14)</i>	विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.01.2015 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.02.2015
3	New Ordinance No. 186, Master of Education (M.Ed. Semester System) <i>प्रपत्र-1 (पृष्ठ क्र. 15-18)</i>	विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.01.2015 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.02.2015
4	New Ordinance No. 187, Bachelor of Physical Education (B.P.Ed. two year-four semester) <i>प्रपत्र-1 (पृष्ठ क्र. 19-22)</i>	विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.01.2015 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.02.2015

निवेदन है कि विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से उपरोक्त प्रस्ताव को सम्मिलित करने का कृपया कष्ट करें।

सादर।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ. क्र. 3275 /अका./2015

प्रतिलिपि :

कुलपति के सचिव, कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित।

भवदीय,

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक: 8/04/2015

उप कुलसचिव (अका.)


प्रपत्र-एक

(केवल नवीन अध्यादेश/ परिनियम की दशा में भरा जाये)
पाठ्यक्रम प्रारंभ करने सम्बन्धी अध्यादेश की विश्लेषणात्मक जानकारी

1. विश्वविद्यालय का नाम	:	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
2. अध्यादेश क्रमांक एवं नाम	:	Ordinance No. 184, Integrated M.Sc. programme of CBS
3. अनुशांसा प्राधिकारी का नाम एवं तिथि (धारा 53(4) की स्थिति में कुलपति द्वारा अनुशांसा की तिथि)	:	विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 04.03.2015 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.03.2015 में अनुमोदित।
4. प्रभावशील होने की तिथि	:	समन्वय समिति के अनुमोदन की तिथि से
5. पाठ्यक्रम का प्रकार	:	स्नातकोत्तर
6. पाठ्यक्रम की अवधि	:	पंचवर्षीय
7. प्रवेश हेतु निर्धारित छात्र संख्या (अनु. जाति/ अनु.जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/ सामान्य आदि के बंटवारा सहित)	:	विश्वविद्यालय/शासन के नियमानुसार
8. प्रवेश की पात्रता नियम	:	विश्वविद्यालय के नियमानुसार
9. प्रवेश की प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय के नियमानुसार
10. राष्ट्रीय/ राज्य एजेन्सी (यथा ए.आई.सी. टी.ई., एन.सी.टी.ई. आदि से प्राप्त अनुमति पत्र का क्रमांक व दिनांक) (छायाप्रति संलग्न करें)	:	---
11. अध्यापन के विषय एवं पेपर्स	:	As per Ordinance
12. विषय अथवा समीपस्थ विषय के वर्तमान में पदस्थ शिक्षकों की संख्या (पद सहित)	:	--
13. पाठ्यक्रम संचालन हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या एवं औचित्य	:	--
14. परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया तथा सैद्धान्तिक प्रायोगिक एवं परियोजना कार्य के अंक का बंटवारा आदि	:	As per Ordinance
15. शुल्क (सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों हेतु अलग-अलग लिखें)	:	विश्वविद्यालय/शासन के नियमानुसार
16. स्ववित्तीय पाठ्यक्रम की कक्षा में लागत विश्लेषण (विभिन्न स्रोतों से आय एवं विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का विवरण दिया जाये)	:	--

17. पाठ्यक्रम की उपयोगिता : --
18. विषय विशेषज्ञ समिति का निरीक्षण रिपोर्ट (यदि स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित है) : विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित
19. अन्य अध्यादेश/ परिनियम में परिणामी संशोधन (यदि कोई हो) : --

दिनांक :


कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर


PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

ORDINANCE No.184.....

Integrated M.Sc. programme of CBS

Preamble

1. The Center for Basic Sciences (CBS) will offer 5-year integrated M.Sc. programs in select areas of basic sciences, notably, Physics, Chemistry, Mathematics, and Biology that will be amenable to 12th graders. The center will also offer Integrated PG-PhD program, Research-based PG and PhD alone programs that will be the ultimate hallmark of the CBS.
2. The complete programme for Integrated M.Sc. will be for a duration of 10 semesters in all leading to Master degree in any one of the following major subjects:
(i) Physics (ii) Chemistry (iii) Mathematics (iv) Biology
3. The programme of instruction will consist of (a) Core courses (compulsory), (b) Elective courses (departmental), (c) Elective courses (non departmental), (d) Laboratory/Seminar/Mini Project, (e) Project work and dissertation. The student may be required to give one or more seminars and undergo industrial/ practical training during the programme. The academic programmes in each semester may consist of course work and/or project work as specified by the Academic Council. The 5-Year Integrated M.Sc. programme will have a curriculum and syllabi for the courses approved by the Academic Council.
4. **Minimum Requirement to Keep Term in the Programme:**
The student must earn credits at an average rate of 10 or more per semester for all the completed semesters, failing to satisfy this requirement, the student will be asked to leave the programme.
5. (1) The curriculum should be so drawn up so that the minimum number of credits for successful completion of the programme **is not less than 100**.
(2) Credits will be assigned to the courses based on the following general pattern:
(i) One credit for each one hour lecture.
(ii) One credit for each laboratory or practical session of two hours.
(iii) Two credits for each laboratory or practical session of at least four hours.

Approved
16.4.15





6/4/15
Ravishankar Shukla
6/4/15

- (iv) Credit for the seminar, project work and industrial/practical training will be as specified in the curriculum approved by the Board of Studies.
- (3) A student will have to register in all the core courses listed in the curriculum.
- (4) Electives will have to be taken from the courses offered in that particular semester from among the list of approved courses as per the curriculum.
- (5) A Student who has acquired the minimum number of total credits for the award of the degree will not be permitted to register for more courses to improve his/her cumulative grade point average.
- (6) The medium of instruction, examination, and seminar & project reports will be English.

6. The admission policy and procedure are as decided from time to time by the Governing Council of the CBS, following the guidelines issued by Government of Chhattisgarh and UGC.

- (i) Reservation Policy as decided by the GC following the directives of Government of Chhattisgarh and UGC will be followed.
- (ii) The Post-graduate Admissions Committee constituted by the Chairman, Academic Council will decide on the operational aspects of selection of candidates based on the criteria laid down by the EC.
- (iii) Vacancies, if required to be filled up after the admission date will be decided by the Chairman, Academic Council and reported to the EC for post-facto approval.
- (iv) The fee structure is as decided by the Governing Council from time to time. The mode of payment is as decided by the EC from time to time.
- (v) Minimum duration of M.Sc. Degree Programme is **10 semesters**. In any case, a student must complete this programme within a period of 7 years.
- (vi) Award of degree shall be made by the University in accordance with the regulations framed by the EC of the University.

7. Candidates failing to appear or securing less than 10 grade points in any of the theory course of semester examinations shall be allowed to pursue the courses for the next following semester and to appear at the examination simultaneously in the course for that semester and any course of the previous semester, which he/she has not cleared. Failure in all the core courses, shall have to re-appear in the same papers. A.T.K.T. provision shall be in three core courses of one semester & maximum three attempts only i.e. (1 main + 2 A.T.K.T.). Failure to secure 10 grade points or to obtain qualifying marks of 50% in each core course in two successive semester examinations, in addition to main examination, shall if so facto disqualify a candidate for admission to the next higher semester or for re-examination.

8. The examination and evaluation shall be on internal/external basis. The theory papers may be examined externally up to 50% maximum. Practical examination shall be conducted jointly by internal and external examiners.

Handwritten signature
6.4.15
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
9.4

Handwritten signature

9. The examinations for the first, third, fifth, seventh and ninth semesters shall ordinarily be completed by the end of December and the examinations for the second, fourth, sixth, eight and tenth semesters shall ordinarily be completed by the end of May each year.
10. The examination shall be held in all the subjects being offered by different departments of CBS of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
11. **Scrutiny or Recounting of Marks-** A candidate whose result has been declared may apply to the Registrar for the scrutiny or recounting of his/her marks in the prescribed form within 15 days of the declaration of the result, according to the provision laid down in the related ordinance.
There shall be no provision of revaluation of answer books.

12. Course – wise Grading of Students into Categories

Letter Grades

The weighted total marks secured by the candidate in each course will be converted into letter grades. The letter grades and the respective grade points are given in the following table: Letter Grade	S	A	B	C	D	E	F	W	I
Grade point	10	9	8	7	6	5	0	0	0

- (1) A candidate who has registered for a course, but was not permitted to appear for the end semester examination due to reasons including the shortage of attendance will be awarded W grade with grade point 0 for the course. A candidate whose result on any course is pending decision by appropriate body will be awarded I grade for such courses. All I Grades will be converted to actual grades, normally within a week after publication of results of the regular end semester examination. Any I grade which is not converted to regular grade within the stipulated time will be treated as F grade.
- (2) A Student is deemed to have completed a subject successfully and earned the credit if he/she secures any letter grade other than F, W or I.
 A letter grade F in any subject implies failure in that subject.
 A subject successfully completed cannot be repeated.

13. **Methods of Awarding Grades:**

- (1) A final meeting of the **class committee** without the student members will be

Handwritten signature
6.4.15

Handwritten signature
6/4

Handwritten signature
6/4

Handwritten signature

convened within fifteen days after the last day of the end semester examination. The letter grades to be awarded to the students for different subjects will be finalized at this meeting.

- (2) Two copies of the result sheets for each subject containing the final grade and two copies with **absolute marks** and the **final grade** should be submitted by the teacher to the concerned Class Committee Chairman. After finalization of the grades at the Class Committee Meeting, one copy with the absolute marks and one without the absolute marks but having only the grades will be forwarded by the Class Committee Chairman to the Registrar. One copy with absolute marks and the final grade will be sent to the Head of the Department.

14. Declaration of Results:

- (1) The letter grades awarded to the students in each subject will be put up on the departmental notice boards soon after the final class committee meeting. In case a student feels aggrieved, he/she can contact the concerned teacher for a second look at his/her performance but not later than two weeks from the commencement of the semester following the announcement of the results. The student shall have access to his/her answer paper/s in the end semester examination which may be shown to him/her by the teacher/s concerned. If the teacher feels that the case is genuine he/she may re-examine and forward the revised grade, if any, to the Dean through the Chairman of the Class Committee with justification for the revision and with intimation to the Head of the Department.
- (2) The F grade once awarded stays in the record of the student and is deleted when he/she completes the subject later, indicating also the numbers of attempts made in that course. The CGPA will be accordingly revised deleting the "F" in the earlier attempts in that course. The grade acquired by the student later will be indicated in the grade card of the appropriate semester.

15. Course Repetition: A student securing 'F' or 'W' grade in any subject has to repeat it compulsorily when offered next, if the subject is listed as a core subject. If it is an elective subject, the student has option either to repeat it in order to get a successful grade or take another elective course.

16. Grade Card:

- (1) The grade card issued at the end of the semester to each student will contain the following:
 - a. the credits for each course registered for that semester
 - b. the performance in each subject by the letter grade obtained vide 13.(1)
 - c. the total number of credits earned by the student up to the end of the semester
 - d. GPA of the semester

[Handwritten signatures and dates]

16.4.15

6/4

6/4

e. the Cumulative Grade Point Average (CGPA) of all the courses taken up to and including the semester .

(2) **The Grade Point Average (GPA)** will be calculated by the formula.

$$GPA = \frac{\sum C \times GP}{\sum C}$$

where C = credit for the course, GP = the grade point obtained for the course and the sum is over all the courses taken in that semester, including those in which the student has secured F and W grades.

For the **Cumulative Grade Point Average (CGPA)** a similar formula is used except that the sum is over all the courses taken in all the semesters completed up to the point in time, including those in which the student has secured F & W grades.

(4) At the end of the M.Sc. degree Programme a consolidated grade card will be issued to each student.

17. **Class/Division:** Classification is based on CGPA and is as follows:

CGPA 8 and above	First class with distinction
CGPA 6.5 and above, but less than 8	First class
CGPA 5 and above, but less than 6.5	Second Class

There shall be no provision for division improvement under the examinations of this ordinance.

18. **Eligibility for the award of M.Sc. Degree:** A student shall be declared to be eligible for the award of M.Sc. degree if he/she has:

- registered and successfully completed all the core courses and the project.
- Successfully acquired the minimum number of credits prescribed in the curriculum of the given stream within the stipulated time vide 5.(vi)
- No dues to the Departments, University, Library, Hostels and
- No disciplinary action is pending against him/her.

19. This Ordinance shall be effective from the **academic session 2015-16.**

USE OF CALCULATORS:

The students of Integrated M.Sc. classes will be permitted to use calculators in the Examination hall on the following conditions:

[Signature]

5
[Signature] 6/4
 6.4.15

[Signature]
 6/4/15

- (a) Student will bring their personal Calculators.
- (b) Calculators with memory and following variables be permitted; Plus, minus, multiplication, division, square, reciprocal, exponential, log, square-root, trigonometric functions, viz, sine, cosine, tangent etc. However, under any circumstances programmable calculators shall not be permitted.

Handwritten signature
6.4.15

Handwritten signature
उपकुसभिवे,

पं. रविशंकर शंकर विश्वविद्यालय
रायपुर (छ. व.)

Handwritten signature

Handwritten signature
6.4.15

Handwritten signature

Handwritten signature


प्रपत्र-एक

(केवल नवीन अध्यादेश / परिनियम की दशा में भरा जाये)
पाठ्यक्रम प्रारंभ करने सम्बन्धी अध्यादेश की विश्लेषणात्मक जानकारी

1. विश्वविद्यालय का नाम : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
2. अध्यादेश क्रमांक एवं नाम : नवीन अध्यादेश क्रं. 185
बी.एड. सेमेस्टर पद्धति
3. अनुशंसा प्राधिकारी का नाम एवं तिथि : विद्या परिषद की स्थायी समिति की
(धारा 53 (4) की स्थिति में बैठक दिनांक 12.1.2015 में अनुशंसित
कुलपति द्वारा अनुशंसा की तिथि) एवं कार्यपरिषद- दिनांक 2.2.2015 में
अनुमोदित।
4. प्रभावशील होने की तिथि : जुलाई 2015
5. पाठ्यक्रम का प्रकार : शिक्षा स्नातक
6. पाठ्यक्रम की अवधि : दो वर्ष
7. प्रवेश हेतु निर्धारित छात्र संख्या (अनु. :) (प्रति वर्ष 50-50)
जाति/ अनु.जनजाति/ अन्य पिछड़े आरक्षण- राज्य शासन के नियमानुसार
वर्ग/ सामान्य आदि के बंटवारा सहित)
8. प्रवेश की पात्रता नियम : राज्य शासन के नियमानुसार
9. प्रवेश की प्रक्रिया : राज्य शासन के नियमानुसार
10. राष्ट्रीय/ राज्य एजेन्सी (यथा ए. : पूर्व से पारित अध्यादेश क्रं. 59 बी.एड
आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई. आदि से प्राप्त एक वर्षीय के स्थान पर बी.एड
अनुमति पत्र का क्रमांक व दिनांक) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु
(छायाप्रति संलग्न करें)
11. अध्यापन के विषय एवं पेपर्स : संलग्न
12. विषय अथवा समीपस्थ विषय के वर्तमान : पर्याप्त
में पदस्थ शिक्षकों की संख्या (पद
सहित)
13. पाठ्यक्रम संचालन हेतु अतिरिक्त शिक्षकों : नहीं
की संख्या एवं औचित्य

14. परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया तथा सैद्धान्तिक प्रायोगिक एवं परियोजना कार्य के अंक का बंटवारा आदि : संलग्न
15. शुल्क (सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों हेतु अलग-अलग लिखें) : राज्य शासन के नियमानुसार
16. स्ववित्तीय पाठ्यक्रम की कक्षा में लागत विश्लेषण (विभिन्न स्रोतों से आय एवं विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का विवरण दिया जाये) : आवश्यक नहीं।
17. पाठ्यक्रम की उपयोगिता : एनसीटीई द्वारा बी.एड.का पाठ्यक्रम एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष कर दिये जाने के कारण -पाठ्यक्रम संचालन हेतु
18. विषय विशेषज्ञ समिति का निरीक्षण रिपोर्ट (यदि स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित है) : आवश्यक नहीं।
19. अन्य अध्यादेश/ परिनियम में परिणामी संशोधन (यदि कोई हो) : अध्यादेश 59 के स्थान पर

दिनांक :
रायपुर


कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

(The revision is consequent upon the NCTE Regulation 2014 as Notified on 28.11.2014 and published in the Gazette of India on 01.12.2014 and shall be effective from the date of approval by the Coordination Committee)

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

New Ordinance – NO. 185

B.Ed. (Semester System)

(Bachelor of Education)

Approved in the Coordination meeting on

1. Eligibility :

1.1 Candidates with at least 50% marks either in Bachelor's Degree and/ or in the Master's degree in Science/Social Sciences/Humanities, Bachelors in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics with 55 % marks or any other qualification equivalent thereto are eligible for admission to the programme.

1.2 The reservation and other relaxation for SC/ST/OBC/PWD and other categories shall be as per the prevailing rules of the State Government.

2. Admission Procedure :

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government and the University.

3. **Duration :**

The B.Ed. programme shall be of a duration of **two academic years**, consisting of four semesters which can be completed in a maximum of three years from the date of admission to the programme.

4. **Attendance:**

In the theory and practical papers attendance of student-teachers must be 80% and in internship is should be 90%. The relaxation can be availed as specified in the Ordinance 6 of this university.

5. **Assessment :**

The examination shall consists of two parts, namely

Part- I - Theory and

Part-II Practical/ Internal Assessment in each semester

The classification and division in theory (Part- I) will be as under-

1 st Division	60% and above marks
2 nd Division	45% and above but less than 60% marks
3 rd Division	33% and above but less than 45% marks
Fail	Below 33%

In each theory paper the candidate should obtain a minimum of 25% marks.

The classification and division in practical (Part- II) (A+B) will be as under

	1 st Division	80% and above marks
marks	2 nd Division	60% and above but less than 80%
marks	3 rd Division	50% and above but less than 60%
	Fail	Below 50%

The Theory papers in each semester should have five categories, such as core, contemporary studies, pedagogic, teacher enrichment and Elective. In each semester a candidate should obtain 33% marks of aggregate in theory papers and 50% in practical, separately.

If any student fails in theory paper or in practical he/she can continue in the next semester and will be allowed to appear at the ATKT to maximum 2 times in two papers. However, one candidate has to clear all back papers in a maximum duration of three years from the date of admission.

6. Curriculum programme implementation, syllabus, assessment and examination scheme shall be as per the NCTE norms and as approved by Board of Studies.
 - 6.1. Internal assessment of each candidate is to be carried out throughout the course and cumulative record of each candidate is to be maintained.
 - 6.2. School internship will be for a minimum duration of 20 weeks (4 weeks in the first two semester and 16 weeks in the last two semesters. This should also include, besides practice teaching, an initial phase of one week for observing a regular classroom with a regular teacher and would also include peer observations, teacher observations and faculty observations of practice lessons in each semester.
 - 6.3. Every student has to complete practical work as per syllabus approved by Board of Studies and have to submit a practical copy record. An External Examiner will evaluate the students performance and will also take viva-voce examination.
 - 6.5. Every student has to select one school subjects of two levels for teaching practice. The details about number of lessons shall be followed as per the provisions given by the BoS.
 - 6.6. A Student shall have to opt for one elective paper out of the elective courses prescribed.


7. **Fees :**

The Institution shall change fee as prescribed by the affiliating body / State Government in accordance with the provisions of the NCTE Regulation 2002, as amended from time to time, and shall not charge donations, capitation fee etc from the students.

8. The Students of one year B Ed programme will be governed by the old ordinance no. 59 of this university.

---000---

Munim Khan Bhat


उपकुलसचिव (अकादमी)
दं. रविशंकर धुवल विश्वविद्यालय
रायपुर [छ. ग.]


प्रपत्र-एक

(केवल नवीन अध्यादेश/परिनियम की दशा में भरा जाये)
पाठ्यक्रम प्रारंभ करने सम्बन्धी अध्यादेश की विश्लेषणात्मक जानकारी

1. विश्वविद्यालय का नाम : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
2. अध्यादेश क्रमांक एवं नाम : नवीन अध्यादेश क्रं. 186
एम.एड. सेमेस्टर पद्धति
3. अनुशांसा प्राधिकारी का नाम एवं तिथि : विद्या परिषद की स्थायी समिति की
(धारा 53 (4) की स्थिति में अनुशांसित
कुलपति द्वारा अनुशांसा की तिथि) एवं कार्यपरिषद- दिनांक 2.2.2015 में
अनुमोदित।
4. प्रभावशील होने की तिथि : जुलाई 2015
5. पाठ्यक्रम का प्रकार : शिक्षा स्नातकोत्तर
6. पाठ्यक्रम की अवधि : दो वर्ष
7. प्रवेश हेतु निर्धारित छात्र संख्या (अनु. : निर्धारित स्वीकृति अनुसार
जाति/ अनु.जनजाति/ अन्य पिछड़े आरक्षण- राज्य शासन के नियमानुसार
वर्ग/ सामान्य आदि के बंटवारा
सहित)
8. प्रवेश की पात्रता नियम : राज्य शासन के नियमानुसार
9. प्रवेश की प्रक्रिया : राज्य शासन के नियमानुसार
10. राष्ट्रीय/ राज्य एजेन्सी (यथा ए. : पूर्व से पारित अध्यादेश क्रं. 31
आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई. आदि से प्राप्त अनुमति पत्र का क्रमांक व दिनांक)
(छात्रायाप्रति संलग्न करें) एम.एड. एक वर्षीय के स्थान पर एम.
एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु
11. अध्यापन के विषय एवं पेपर्स : संलग्न
12. विषय अथवा समीपस्थ विषय के वर्तमान : पर्याप्त
में पदस्थ शिक्षकों की संख्या (पद
सहित)
13. पाठ्यक्रम संचालन हेतु अतिरिक्त शिक्षकों : नहीं
की संख्या एवं औचित्य

14. परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया तथा सैद्धान्तिक प्रायोगिक एवं परियोजना कार्य के अंक का बंटवारा आदि : संलग्न
15. शुल्क (सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों हेतु अलग-अलग लिखें) : राज्य शासन के नियमानुसार
16. स्ववित्तीय पाठ्यक्रम की कक्षा में लागत विश्लेषण (विभिन्न स्रोतों से आय एवं विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का विवरण दिया जाये) : आवश्यक नहीं।
17. पाठ्यक्रम की उपयोगिता : एनसीटीई द्वारा एम.एड. का पाठ्यक्रम एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष कर दिये जाने के कारण - पाठ्यक्रम संचालन हेतु
18. विषय विशेषज्ञ समिति का निरीक्षण रिपोर्ट (यदि स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित है) : आवश्यक नहीं।
19. अन्य अध्यादेश/ परिनियम में परिणामी संशोधन (यदि कोई हो) : अध्यादेश 31 के स्थान पर

दिनांक :
रायपुर


कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,



Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

New Ordinance- No.186

M.Ed.Semester system

(Master of Education)

(effected from 1st July 2015)

1. The M.Ed. Programme shall be of a duration of two academic years including field attachment for a minimum of 4 weeks and research dissertation. Student shall be permitted to complete the Programme requirements of the two years programme within a maximum period of three years from the date of admission the programme. The summer should be used for field attachment/practicum/other activities.
2. Candidate seeking admission to the M.Ed. programme should have obtained at least 50% marks or an equivalent grade in the following programme- B.Ed./B.A.B.Ed.,B.Sc.B.Ed/B.El.Ed/D.El Ed from any recognized university.
3. Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in qualifying examination and in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the state government/university.
4. The examination for the degree shall be held semester wise as decided and at centers fixed by the university.
5. A candidate for the M.Ed.examination shall be pursue a regular course of study in a college affiliated with this university. The minimum attendance of students shall be 80% for theory course and practicum and 90% for field attachment.
6. The examination shall consists of theory, practicum and dissertation as decided by the concerned Board of Studies.
7. For part-II of the examination of regular candidates one internal and one external examiner shall be appointed by the University. They may either award marks jointly or separately in respect of the dissertation and the Viva-Voce examination, in the later case the two examiners may award marks out of half of the maximum marks allotted to dissertation and Viva-Voce. The proposal for

dissertation should be approved by an appropriate board or similar such committee.

8. In order to be successful in the examination a candidate shall pass in both theory and practical's by obtaining not less than 36% marks of the aggregate marks obtained each semester, not less than 25% marks in any individual paper and not less than 50% of aggregate marks obtained in practical. Candidate obtaining less than 48% of the aggregate marks obtainable for collectively based on them and practical shall be placed in the III division, candidate obtaining less than 60% marks be placed in the II division and candidate obtaining 60% and above marks shall be placed in the I division. Distinction shall be awarded to the candidates who obtain 75% and above in aggregate in both the parts.

9. If any student fails in theory paper or in practical he/she can continue in the next semester and will be allowed to appear at the ATKT to maximum 2 times in one paper. However one candidate has to clear all back papers in maximum duration of three years from the date of admission.

10. An ATKT candidate will be given two attempts to clear the failed paper/practical/dissertation (main exam. + two chances).

11. The Students of one year M.Ed. programme will be governed by the old ordinance no. 31 of this university.

---000---

leg em
उपकुलसचिव (अकादमी)
व. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर [छ. ग.]

प्रपत्र-एक

(केवल नवीन अध्यादेश / परिनियम की दशा में भरा जाये)
पाठ्यक्रम प्रारंभ करने सम्बन्धी अध्यादेश की विश्लेषणात्मक जानकारी

- | | |
|---|---|
| 1. विश्वविद्यालय का नाम | : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर |
| 2. अध्यादेश क्रमांक एवं नाम | : नवीन अध्यादेश क्रं. 187
बी.पी.एड. सेमेस्टर पद्धति |
| 3. अनुशांसा प्राधिकारी का नाम एवं तिथि (धारा 53 (4) की स्थिति में कुलपति द्वारा अनुशांसा की तिथि) | : विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.1.2015 में अनुशांसित एवं कार्यपरिषद- दिनांक 2.2.2015 में अनुमोदित। |
| 4. प्रभावशील होने की तिथि | : जुलाई 2015 |
| 5. पाठ्यक्रम का प्रकार | : शारीरिक शिक्षा स्नातक |
| 6. पाठ्यक्रम की अवधि | : दो वर्ष |
| 7. प्रवेश हेतु निर्धारित छात्र संख्या (अनु. जाति/ अनु.जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/ सामान्य आदि के बंटवारा सहित) | : निर्धारित स्वीकृति अनुसार
आरक्षण- राज्य शासन के नियमानुसार |
| 8. प्रवेश की पात्रता नियम | : राज्य शासन के नियमानुसार |
| 9. प्रवेश की प्रक्रिया | : राज्य शासन के नियमानुसार |
| 10. राष्ट्रीय/ राज्य एजेन्सी (यथा ए. आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई. आदि से प्राप्त अनुमति पत्र का क्रमांक व दिनांक) (छायाप्रति संलग्न करें) | : पूर्व से पारित अध्यादेश क्रं. 33 बी. पी.एड एक वर्षीय के स्थान पर बी.पी. एड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु |
| 11. अध्यापन के विषय एवं पेपर्स | : संलग्न |
| 12. विषय अथवा समीपस्थ विषय के वर्तमान में पदस्थ शिक्षकों की संख्या (पद सहित) | : पर्याप्त |
| 13. पाठ्यक्रम संचालन हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या एवं औचित्य | : नहीं |

14. परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया तथा सैद्धान्तिक प्रायोगिक एवं परियोजना कार्य के अंक का बंटवारा आदि : संलग्न
15. शुल्क (सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों हेतु अलग-अलग लिखें) : राज्य शासन के नियमानुसार
16. स्ववित्तीय पाठ्यक्रम की कक्षा में लागत विश्लेषण (विभिन्न स्रोतों से आय एवं विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का विवरण दिया जाये) : आवश्यक नहीं।
17. पाठ्यक्रम की उपयोगिता : एनसीटीई द्वारा बी.पी.एड.का पाठ्यक्रम एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष कर दिये जाने के कारण -पाठ्यक्रम संचालन हेतु आवश्यक नहीं।
18. विषय विशेषज्ञ समिति का निरीक्षण रिपोर्ट (यदि स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित है) : आवश्यक नहीं।
19. अन्य अध्यादेश/ परिनियम में परिणामी संशोधन (यदि कोई हो) : अध्यादेश 33 के स्थान पर

दिनांक :
रायपुर

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

New Ordinance- No.187

B.P.Ed (two year-four semesters)

(Bachelor of Physical Education)

(with effect from 1st July 2015)

1. This ordinance shall come into force from the academic session 2015-16 for semesters I,II,III and IV in two academic years.
2. Eligibility for admission in B.P.Ed (2 years) will be governed by the norms, as prescribed by the NCTE/Pt. Ravishankar Shukla University/Other Statutory Council from time to time.
3. Reservation and age rules will be applicable as per the Chhattisgarh State Government norms.
4. Attendance in theory and practical subjects shall be compulsory. A minimum of 75% attendance is required separately for each theory and practical subject and will be governed by the provisions of the Ordinance 6 of this university.
5. Theory and practical examination will be conducted as decided by the Board of Studies in Physical Education, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
6. (i) The examination shall consists of two parts, namely
Part I- Theory
Part II- Practical
(ii) There shall be one practical and four theory papers in each semester. The scheme of examination shall be decided by the BoS.
(iii) Divisions shall be declared for theory and practical separately on the basis of the results of all four semesters.

(iv) In order to pass-

(a) An examinee must obtain not less than 35% marks in each theory paper including sessional marks.

(b) The examinee must obtain not less than 40% marks in each practical examination including sessional marks.

7. The division shall be declared for all the two parts separately as follows:-

(a) Theory - 60% and above - First Division

45% and above but less than 60% - Second Division

(b) Practical- 60% and above - First Division

45% and above but less than 60% - Second Division

A candidate must obtain 45% marks in aggregate in theory & practical shall be admitted to the next semester. If candidate is failing in not more than two papers including practical in any semester shall be declared ATKT. The final result of the fourth semester examination shall be declared only after a candidate has cleared examinations of all the three semesters.

8. An ATKT candidate will be given two attempts to clear the failed paper/practical (main exam + two chances).

9. The candidate must clear all four semester examination (Theory and Practical) maximum in three academic years.

--00--

Manu Kumar Patil

Manu Kumar Patil
सहायक (कार्यवाही)
द. विभागाध्यक्ष कार्यालय
राजपुर (अ. प्र.)

Manu Kumar Patil



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E.mial-academicprsu@gmail.com



क्रमांक 3168 /अका./2015

रायपुर, दिनांक 27/03/2015

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा,
ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल,
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय : अध्यादेश क्र. 180- **LL.B. THREE YEAR LAW DEGREE COURSE (Semester System)** में संशोधन प्रस्ताव समन्वय समिति की 25वीं बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत के संबंध में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक में अध्यक्ष के अनुमति से रखे जाने हेतु अध्यादेश क्र. 180- **LL.B. THREE YEAR LAW DEGREE COURSE (Semester System)** में संशोधन प्रस्ताव प्रपत्र-2 संलग्न कर, आपकी ओर अग्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कुलसचिव

क्रमांक 3169 /अका./2015

रायपुर, दिनांक 27/03/2015

प्रतिलिपि :

कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

प्रपत्र – दो

1. विश्वविद्यालय का नाम : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम क्रमांक : अध्यादेश क्रमांक 180
3. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम का नाम : **LL.B. THREE YEAR LAW DEGREE COURSE (Semester System)**
4. अनुशासा के प्राधिकारी का नाम एवं अनुशासा की तिथि धारा 52 (4) की स्थिति में कुलपति द्वारा अनुशासा की तिथि : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.03.2015 में अनुमोदित

वि.वि. अधिनियम/ अध्यादेश/ परिनियम क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
180	<p>In clause (2)</p> <p>LL.B. First Semester shall be commence from the month of July every year and the Semester examination shall be held in the month of January of the following year.</p> <p>Examination for all the semester shall be held twice a year namely January/February and July/August.</p>	<p>In clause (2)</p> <p>LL.B. First Semester shall commence from the month of July every year. The examination for the first and the third semester shall ordinarily be completed by the end of December and examinations for the second and the fourth semesters shall ordinarily be completed by the end of May each year.</p>	<p>अन्य संकायों के सेमेस्टर परीक्षा के साथ एकरूपता हेतु यह संशोधन आवश्यक है।</p>

दिनांक :


कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

**Institute of Management
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur**

Present Ordinance No: 88	Proposed Changes in Ordinance No: 88	Reason for Change
<p>Section 11 A Candidate declared pass at the first semester examination shall be eligible to be promoted to the second semester and shall be eligible to take up the second semester examination if he /she fulfill all other conditions to be eligible to appear at the examination. Provided that if a candidate after passing in the Internal Assessment of all the papers and appearing in all the theory papers of the first semester examination. Fails in any One or Two or Three theory paper(s) at the first semester examination but secures at least 48% marks in aggregate in the papers cleared at the first semester examination, he/she shall be allowed to keep a term (ATKT) and be eligible for promotion to the second semester. In this case, the same student is required to take up the examination of ATKT paper(s) in which he/she had failed with the subsequent first semester examination. Maximum three chances for clearing the ATKT papers will be given to the candidates failed in the theory papers. Note: - The same rule will also be applicable in section 12 for the candidates to be promoted from second to third semester examination and section no.13 for the candidates to be promoted from third to fourth semester examination of the ordinance 88.</p> <p>Section 21 There shall be the revaluation only in theory papers</p>	<p>In this case, the same student is required to take up the examination of ATKT papers along with the following immediate semester examination.</p> <p>Maximum three attempts only (one main + two ATKT) will be given to the candidates failed in the theory papers.(As per revised ordinance no: 170 for semester examination of the University)</p>	<p>ATKT students are getting chance to clear their ATKT papers after one year, therefore if a student gets ATKT in third semester completes his/her Two year MBA programme in three years due to ATKT result. (as per old provision and practice of ordinance no: 88)</p>

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.

ORDINANCE NO. 88

(Under Section 38)

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

- 1 This degree shall be known as master of Business Administration(MBA).
- 2 (a) The duration of this course for full time course of study shall extend over two full academic sessions and each of these academic sessions shall be sub-divided into two semesters each.
(b) The duration of this course for Part-time course of study shall extend over 4 full academic sessions and each of these academic sessions shall be sub-divided into two semesters each.
- 3 The minimum qualification for application for admission to MBA course shall be as follows:
(a) A candidate holding a graduate degree or post-graduate degree of the University or of any other University recognised to be equivalent thereto by the University with at least 50 percent of marks (45 percent in case of SC, ST & OBC candidates) in aggregate in the Faculty of Arts, Science, Home-Science, Social Science, Agriculture, Commerce, Medicine, Engineering or Life Science shall be eligible for application for admission to MBA course.
Provided that the following examinations shall not be taken as basic degree for application for admission to MBA course :
(i) L.L.B.; (ii) BJMC (iii) B.P.Ed., (iv) B.Ed., (v) B.Lib.I.Sc. as also any graduate degree for which the minimum admission qualification is a basic degree course of three years duration.
- 4 The admission to the MBA course of study either Full time or Part time shall be made on merit to be decided on the basis of written entrance test, selection interview and group discussion organised by the University.
English shall be the medium for the entrance test, instruction and examination for the course of study.
The admission so granted shall be further governed by the University rules applicable to all the students in the University and the decision of the Kulapati in case of any dispute shall be final.
- 5 The total intake capacity of the full time or Part-time MBA course shall be as per AICTE norms and as decided by the University from time to time.
- 6 The students admitted to MBA course shall not be permitted to appear at any other examination.
- 7 The MBA Course (Full time or Part time) shall consist of -
(a) Such courses/ papers as may be prescribed by the University;
(b) Such in-plant training as may be prescribed by the University.
(c) Such factory visits as may be prescribed by the University.
- 8 There shall be a University Examination conducted by the University at the end of each semester on the basis of course contents and scheme of examination as may be prescribed by the University from time to time.
- 9 A student after having prosecuted a regular course of study in either Full time or Part time course of study in the University as prescribed by the University shall be eligible to be

admitted to the Semester Examination if he/she had attended at least 75 percent of the classes of the Semester concerned.

10. A candidate in order to be declared pass at any of the Semester examination shall be required to obtain at least 40 percent marks in each of the theory papers and 50 percent marks in the aggregate of theory papers; 50 percent marks in internal assessment and Project Report separately.

11. A candidate declared pass at the First Semester examination shall be eligible to be promoted to the second semester and shall be eligible to take up the second semester examination if he/she fulfills all other conditions to be eligible to appear at the examination.

Provided that is a candidate after passing in the internal assessment of all the papers and appearing in all the theory papers of the first semester examination, fails in any one or two theory papers at the First Semester examination, but secures at least 50 percent marks in aggregate in the papers cleared at the Semester examination, he/she shall be allowed to keep the term and shall be eligible to be promoted to the second semester and shall be required to take up the examination of the paper(s) in which he /she had failed along with the Second Semester examination if he/she fulfills all other conditions to be eligible to appear at the second semester examination and if he/she fails to clear the theory paper(s) of First Semester he/she shall be eligible to appear as an ex-student in the theory papers of First Semester Examination and shall be required to pass the theory paper(s) at the immediate subsequent examination of the First Semester and if he fails to clear the theory paper(s) in the examination he/she shall cease to be a student of the MBA course of study.

12. A candidate declared pass at the first and Second semester examination shall be eligible to be promoted to the Third semester examination and shall be eligible to take up the III Semester examination, if he/she fulfills all other conditions to appear at the examination.

Provided that if a candidate after passing in the internal assessment of all the papers and appearing in all the theory papers fails in one or two of the theory papers of second semester examination but secures at least 50 percent of marks in aggregate in the theory papers and internal assessment already cleared at the second semester examination, he/she shall be eligible to keep term and shall be permitted to take up the examination of the theory papers in which he/she has failed at the second semester examination along with the Third semester examination if he has cleared the back log of first semester, and if he/she fulfills all other conditions to be eligible to appear at the third semester examination, and if he/she fails to clear the theory paper(s) of Second semester at this examination he/she shall be eligible to be permitted to appear as an ex-student in the theory paper(s) of second semester at the immediate subsequent Second Semester Examination and shall be required to pass in the theory paper(s) of the examination and if he fails to appear at the examination for any reason or fails to clear the theory paper(s) in the examination he/she shall cease to be a student of MBA course.

13. A candidate declared pass at the I, II and III Semester Examination shall only be eligible to be promoted to the fourth Semester.

Provided that a candidate who after prosecuting a part-time course of study after passing in the internal assessment of all the papers and appearing in all the theory papers of III Semester examination but secures atleast 50 percent of marks in aggregate in the theory papers and internal assessment already cleared at the III Semester examination, he/she shall be eligible to keep term and shall be eligible to be permitted to appear at the Fourth semester examination and shall also appear at the III Semester examination in the paper(s)

in which he/she had failed along with Fourth semester examination if he/she has cleared the back log of Second Semester and if he/she fulfils all other conditions to be eligible to appear at the Fourth Semester examination if he/she fails to clear the theory papers of III semester he/she shall be eligible to appear as an Ex-student in the paper(s) of the III semester at the immediate subsequent examination of the III semester and shall be required to pass in the theory paper(s) at the examination and if he/she fails to appear at the examination for any reason or fails to clear the theory paper(s) of the examination, he/she shall cease to be a student of the MBA course of study.

14. A candidate declared pass at the I, II, III and IV Semester examination shall be eligible to be promoted to the VI Semester and shall be eligible to take up the Fifth Semester examination if he/she fulfils all other conditions to appear at the examination.

Provided that if a candidate after passing in the internal assessment of all the papers and appearing in all the theory papers of Fourth Semester fails in only one of the theory papers of Fourth semester examination but secures at least 50 percent marks in aggregate in the theory papers and internal assessment already cleared at the Fourth Semester he/she shall be eligible to keep term and shall be eligible to be promoted to Fifth Semester and shall be eligible to be permitted to appear at the fifth semester and shall also appear at the fourth semester examination in the paper(s) in which he/she had failed along with the V semester examination, If he/she fulfils all other conditions to be eligible to appear at the V semester examination and if he/she fails to clear the theory paper(s) of the IV Semester he/she shall be eligible to appear as an Ex-student in the paper(s) of the IV Semester at the immediate subsequent examination of IV Semester and shall be required to pass in the theory paper (s) at the examination and if he/she fails to appear at the examination for any reason or fails to clear the theory paper (s) in the examination he/she shall cease to be a student of MBA course of study.

15. A candidate declared pass at the I, II, III, IV and V Semester examination shall only be eligible to be promoted to the VI Semester and shall be eligible to take up the sixth semester examination if he/she fulfils all other conditions to appear at the examination.

Provided that if a candidate prosecuting a part time course of study after passing in the internal assessment of all the papers and appearing in all the theory papers of Fifth semester fails in only one or two theory papers of fifth semester examination but secures atleast 50 percent marks in aggregate in the theory papers and internal assessment already cleared at the Fifth Semester, he/she shall be eligible to keep term and shall be eligible to be promoted to the VI semester and shall be eligible to be permitted to appear at the VI semester and shall appear at the V Semester examination in the papers in which he/she had failed along with the VI Semester examination if he/she has cleared the back log of IV semester and if he/she fulfils all other conditions to be eligible to appear at the VI Semester examination, and if he/she fails to clear the theory paper of the fifth semester he/she shall be eligible to appear as an Ex-student in the paper(s) of the V semester at the immediate subsequent examination of V semester & shall be required to pass in the theory papers at the examination and if he/she fails to appear at the examination for any reason or fails to clear the theory paper(s) in the examination he/she shall cease to be a student of MBA Course of study.

16. A candidate declared pass at the I, II, III, IV, V and VI Semester examination shall only be eligible to be promoted to the VII Semester and shall be eligible to be promoted to the VII Semester and shall be eligible to take up the Seventh Semester examination if he/she fulfils all other conditions to appear at the examination.

Provided that if a candidate after passing in the internal assessment of all the papers and appearing in all the theory papers of Sixth Semester fails in only one of the theory papers of Sixth semester examination but secures atleast 50 percent marks in aggregate in the theory papers and internal assessment already cleared at the Sixth Semester, he/she shall be eligible to keep term and shall be eligible to be permitted to appear at the VII Semester and shall appear at the V: Semester examination in the papers in which he/she had failed along with the VII Semester examination, if he/she has cleared the back log of V Semester and if he/she fulfils all other conditions to be eligible to appear at the VII Semester examination and if he/she fails to clear the theory paper of the VI semester he/she shall be eligible to appear as an Ex-student in the paper(s) of the VI semester examination at the immediate subsequent examination of VI semester and shall be required to pass in all the theory paper (s) at the examination and if he/she fails to appear at the examination for any reason or fails to clear all the theory papers in the examination he/she shall cease to be a student of MBA course of study.

17. A candidate declared pass at the I, II, III, IV, V, VI and VII Semester shall only be declared eligible to be promoted to the VIII Semester and shall be eligible to take up the examination of VIII Semester if he/she fulfils all other conditions to appear at the examination.
18. A candidate after passing at the internal assessment of all the papers and Project Report and is eligible to be admitted to the Semester examination fails to appear at the examination due to illness or any any other unavoidable reasons, he/she will be permitted to appear at the next two subsequent examinations of the semester concerned as an Ex-student of the semester only and in case he/she fails to pass the examination, he/she shall cease to be a student of the MBA, Full time or Part time course of study of the University.
19. A candidate not permitted to take up the First Semester examination due to shortage of attendance shall be required to apply for admission afresh in the next academic session and shall also be required to appear at the admission test.
20. There shall be no second full or supplementary examination for any semester examination.
21. There shall not be any revaluation in case of internal assessment, Project Report and Theory papers.
22. A candidate obtaining 60 percent or more marks in aggregate of I, II, III, and IV Semesters in case of Full time course and I, II, III, IV, V, VI, VII and VIII Semesters in case of Part-time course, taken together shall be declared to have passed in the First division.
A candidate obtaining less than 60 percent but not less than 50 percent of marks in aggregate of all the semesters taken together shall be declared to have passed in the Second division.
23. No person shall be admitted to MBA course if he/she has already passed the MBA examination of the University or any equivalent examination of any other University or statutory body.
24. Each student shall be required to pay the fees of the course as may be prescribed by the University from time to time.
25. In matters of admission, attendance, examination and in all other matters not provided for in this Ordinance, the MBA degree course shall be governed by the general provisions of the relevant Ordinance save in so far as they are not inconsistent with the Provisions of this Ordinance.

F.No.APP1482/217th/B.Ed./2015/131869

Date: 25.02.2015
26

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART III SECTION 4

ORDER

Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993(73 of 1993), and in supersession of the National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 1.12.2014.

2. And whereas, the institution Shri Sai College, Plot No. 286/1, 286/2, 291, Deurjhaja, Nandani, Durg, Chhattisgarh - 490096 by affidavit consented to come under New Regulations and sought recognition for an annual intake of 50 students (one basic unit) of B.Ed. course of 2 years durations which require additional facilities.

3. And whereas, it has been decided to permit the institution to have one basic unit of 50 students subject to the institution fulfilling following conditions namely,

- (iv). The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.
- (v). The applicant-institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified Performa available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building Completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available; otherwise it can also be given to the Visiting team at the time of inspection.
- (vi). The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these conditions by 20 Feb, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.

.....Continued on next page.

4. Now therefore, in the light of the above and in terms of Section 14(3) (a) of NCTE Act and in accordance with the Regulations, 2014, the Western Regional Committee, NCTE hereby grants recognition to Shri Sai College, Plot No. 286/1, 286/2, 291, Deurjhaja, Nandani, Durg, Chhattisgarh – 490096 for conducting B.Ed. Programme of 2 years duration with an annual intake of 50 (one basic unit) from the academic session 2015-16 subject to fulfilment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, the recognition is subject to fulfilment of other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/Body, the State Government etc. as applicable.

6. The institution shall submit to the Regional Committee a Self- Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

7. The institution shall maintain & update its web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

- a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution:
- b) Name of faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
- c) Name of faculty members who left or joined during the last, quarter:
- d) Names of Students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.;
- e) Fee charged from students;
- f) Available infrastructural facilities;
- g) Facilities added during the last quarter;
- h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter;
- i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- j) The institution shall be free to post additional relevant information. if it so desires.
- k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

If the institution Contravenes any of the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order,

(Sunil Shrivastava)
Regional Director

.....Continued on next page

The Manager,
Government of India Press,
Department of Publications (Gazette Section),
Civil Lines, New Delhi – 110054.

To:

The Principal,
Shri Sai College,
Plot No. 286/1, 286/2, 291,
Deurjhaja, Nandani,
District- Durg- 490096,
Chhattisgarh

Copy to:

1. The Secretary, Sai Shanti Sikshan Samiti, Plot No. 286/1, P-H – 30, Deurjhal, Nandani, District- Durg- 491001, Chhattisgarh
- ✓ 2. The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla Univerisity, G.E.E. Road, Saraswati Nagar, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh.
3. The Secretary, (Higher Education), Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Raipur- 492001, Chhattisgarh.
4. The Director, Education Chhattisgarh State Council of Educational Research & Training, Shankar Nagar, Raipur-492006.
5. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi – 110001.
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002.
7. Office Order file/Institution file WRCAPP1482.


Regional Director

F. No. WRC/APW04626/723112(shifting of premises)/215th/2015/ 131872 Date: 24.02.2015
26.

Order for shifting of premises

Whereas, in terms of section 14 of the NCTE Act, 1993, WRC granted recognition to, Indian College of Education, Run by – Surabhi Educational Society, Khasra No. 1124/2, 1124/3, 86/4, Station Road, Mahasamund, Chhattisgarh for B.Ed. (Co-Ed) course with an annual intake of 100 students from the academic session 2009 - 2010 vide order no. WRC/5-6/109th/2008/46072 & 46091-95 dated 07.11.2008.

And whereas, a show cause notice dt. 28.12.2011 under section 17 of the NCTE Act, 1993 was issued to the institution informing institution about the provision of the Regulations and compliance of shifting of the institution to its own premises from the rented premises where the recognition was granted.

And whereas, the representation dt. 18.01.2012 submitted by the institution was placed before the WRC in its 169th meeting held on 22-24 August, 2012 and the Committee decided to issue show cause notice. Notice was issued on 13.09.2012.

And whereas, the institution had not submitted the reply and the matter was placed before the WRC in its 179th meeting held on 11-13 February, 2013 and the Committee decided to Withdraw recognition granted to institution vide withdrawal order dt. 06.03.2013.

And whereas, the institution had preferred an appeal before the Council (NCTE) under Section 18 of the NCTE Act 1993. The Council vide order F. No.89-276/2013 Appeal/13th meeting – 2013 quashed the withdrawal order dt. 06.3.2015 and remands back the matter to WRC "After perusal of the documents, Memorandum of appeal, affidavit, and after considering the oral arguments advanced during the hearing, the Council concluded that the appeal deserved to be remanded to WRC with a direction to conduct an inspection, in the new own premises in which the institution is reported to be functioning from 2012-2013 and take further necessary action. The appellant is also directed to send a copy of his reply dated 20.09.2013 to the WRC immediately. In the mean while the order of withdrawal may be kept in abeyance. The Council hereby remands back the case of Indian College of Education, Mahasamund, Chhattisgarh to the WRC, NCTE, for necessary action as indicated above."

And whereas, the matter was placed before the WRC in its 194th meeting of WRC held on November, 26 - 27, 2013. The Committee decided that the VT.

And whereas, the inspection of the institution was conducted on 24.01.2014 and matter was placed before the WRC in its 201st meeting of WRC held on February, 19 - 22, 2014. The Committee decided to seek clarification from institution. Clarification letter was issued on 21.02.2014.

And whereas, reply of clarification was placed before the WRC in its 215th meeting of WRC held on January, 30 - 31, 2015. The Committee decided that the institution be permitted to shifting the premises.

And whereas, Institution has submitted an affidavit for making compliance of NCTE Regulations 2014 before 31.10.2015.

Now therefore, permission is hereby granted to Indian College of Education (run by – Surabhi Educational Society) for shifting of premises of B.Ed course (NCTE Code 723112) from building at khasra no. 1124/2, 1124/3, 86/4, Station Road, Mahasamund, Chhattisgarh to building at khasra no. 2444/2, 2445/2, 2445/3, Raipur Road, Belsonda, Mahasamund, Chhattisgarh.

(Sunil Shrivastava)
Regional Director

The Manager to Govt of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines,
Delhi-110054

Copy to:-

1. The Principal, Indian College of Education, Run by – Surabhi Educational Society, Khasra No. 1124/2, 1124/3, 86/4, Station Road, Mahasamund, Chhattisgarh.
2. The Principal, Indian College of Education, Khasra No. 2444/2, 2445/2, 2445/3, Raipur Road, Belsonda, Mahasamund- 493445, Chhattisgarh
3. The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
4. The Secretary, (Higher Education), Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Raipur-492001, Chhattisgarh.
5. The Director, Education Chhattisgarh State Council of Educational Research & Training, Shankar Nagar, Raipur-492006.
6. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi – 110001.
7. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002.
8. Office Order file/Institution file APW04626/723112.


Regional Director

कार्यालय, प्राचार्य,
शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय
कालीबाड़ी चौक, रायपुर (छत्तीसगढ़)

www.dbgirls.org, e-mail:dbgirls@yahoo.co.in. Phone/Fax: 0771-2229248

क्रमांक 1723 / कम्प्यूनिटी कॉलेज / 2015

रायपुर, दिनांक 23/03/2015

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- कम्प्यूनिटी कॉलेज (पायलट स्कीम) के तहत स्वीकृत डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं अध्यापन हेतु अनुमति संबंधी।

संदर्भ:- 1. विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक 1851/12.11.2014
2. राज्य शासन का पत्र क्र. एफ 3-3/2013/38-1, नया रायपुर दिनांक 17.03 2015।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि

- (1) यू.जी.सी. के कम्प्यूनिटी कॉलेज (पायलट स्कीम) के अंतर्गत इस महाविद्यालय को डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई है।
- (2) इस हेतु विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबद्धता फार्म एवं निर्धारित संबद्धता शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करने के उपरांत विश्वविद्यालय टीम द्वारा निरीक्षण भी दिनांक 01.12.2014 को हो चुका है।
- (3) राज्य शासन से पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति विषयक पत्र प्राप्त हो चुका है।


कृपया उपरोक्त के संदर्भ में विश्वविद्यालय की आवश्यक अनुमति देने का कष्ट करें जिससे सत्र 2015-16 से यह पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा सके।

संलग्न:-

1. विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक 1851/12.11.2014
2. राज्य शासन का पत्र क्र. एफ 3-3/2013/38-1, नया रायपुर दिनांक 17.03. 2015।


विभागाध्यक्ष
गृहविज्ञान विभाग

HEAD,
Deptt. of Home Science,
Govt. D.B. Girls' P.G. (Auto) College,
RAIPUR. (C.G.)


प्राचार्य
शास.दू.ब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)
PRINCIPAL
Govt. D.B. Gls P.G. Colleg.
RAIPUR. (C. G.)

20/15

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --

नया रायपुर, दिनांक /03/2015

क्रमांक एफ 3-3/2013/38-1

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर

विषय :- शासकीय दू0ब0महिला पी0जी0 महाविद्यालय, रायपुर में कम्युनिटी कॉलेज योजना अंतर्गत "Diploma in Hospitality Management" (DHM) पाठ्यक्रम हेतु अनुमति बावत्।
संदर्भ :- आपकी नस्ती क्र0 41/आउशि/बजट/2014, दिनांक 08.01.2015.

-----0-----

राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय दू0ब0महिला पी0जी0 महाविद्यालय, रायपुर में कम्युनिटी कॉलेज योजनांतर्गत "Diploma in Hospitality Management" (DHM) पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है :-

1. योजना भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमति अनुसार ही चलायी जायेगी।
2. उक्त योजना हेतु राज्य शासन से कोई धनराशि या पद उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
3. महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम हेतु सहमति/अन्य औपचारिक अनुमति प्राप्त की जावेगी।
4. समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)

अवर सचिव

छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक 17/03/2015

क्रमांक एफ 3-3/2013/38-1,

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)।
4. महालेखाद्वारा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
5. निज सहायक, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. प्राचार्य, शासकीय दू0ब0महिला पी0जी0 महाविद्यालय, रायपुर
8. आदेश फोल्डर

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग



सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग

संचालित : कु.शकुंतला सुराना एजुकेशन सोसाइटी, दुर्ग (छ. ग.)

Regd. No. RYP / DURG / 5930/13/3/2000

मान्यता : नेशनल काँसिल फार टीचर्स एजुकेशन, भोपाल (म. प्र.)

संबद्धता : पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ. ग.)

महावीर कालोनी, बैजनाथ पारा, दुर्ग (छ.ग.) दूरभाष : 2333216

//2//

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय दुर्ग द्वारा संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता सत्र 2015-16 से समाप्त किया जावे तथा आगामी सत्र से प्रवेश बंद रहेगा। परिनियम 28 में नियुक्त शिक्षकों को तीन माह पूर्व सेवा समाप्ति की सूचना दे दी गई है।

आपसे निवेदन है कि सत्र 2015-16 से सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाय।

धन्यवाद

Inderchand Surana

अध्यक्ष

सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग

President

Seth Suganchand Surana College

संलग्न:-

1. शासी निकाय बैठक की छायाप्रति।
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को भेजी गई पत्र दिनांक 21.01.15 की छायाप्रति।
3. उप कुलसचिव(अका.) को प्रेषित पत्र दिनांक 09.02.15 की छायाप्रति।
4. परिनियम 28 में नियुक्त शिक्षकों को दी गई सेवा समाप्ति के पत्रों की छायाप्रति।



सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग

संचालित : कु.शकुंतला सुराना एजुकेशन सोसाइटी, दुर्ग (छ. ग.)

Regd. No. RYP / DURG / 5930/13/3/2000

मान्यता : नेशनल कौंसिल फार टीचर्स एजुकेशन, भोपाल (म. प्र.)

संबद्धता : पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ. ग.)

महावीर कालोनी, बैजनाथ पारा, दुर्ग (छ.ग.) दूरभाष : 2333216

SSCS/B.Ed./2015/698

Date :- 26-02-2015

प्रति,

कुलसचिव

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

रायपुर(छ.ग.)

सेठ
राम अरुण
शुभाशी . Standly है
निचा 21/15 5/10/15
2/3/15

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2363/अका/2015 रायपुर, दिनांक 05/01/2015

महोदय,

कु.शकुन्तला सुराना एजुकेशन सोसायटी दुर्ग द्वारा संचालित सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय जहाँ केवल बी.एड. पाठ्यक्रम का अध्यापन होता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के नये नियम 2014 के अनुसार बी.एड. पाठ्यक्रम का संचालन संभव नहीं है।

शासी निकाय की बैठक दिनांक 22.02.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार कु. शकुन्तला सुराना एजुकेशन सोसायटी, दुर्ग राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद Regulation 2014 के नियमों का पूर्णतः पालन करने में असमर्थ है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2015-16 से सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने का पत्र भी कु. शकुन्तला सुराना एजुकेशन सोसायटी द्वारा दिनांक 21.01.15 को प्रेषित किया है। जो उन्हें प्राप्त हो चुका है। जिसकी प्रतिलिपि उप कुलसचिव(अका.) को भेजी जा चुकी है।

दिनांक 22-2-2015 दिन राविवार को दोपहर 2 बजे शासी निवाय की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे।

- 1 इतर चंद सुराना - अध्यक्ष - Induchand Simen 22/2/15
- 2 सतीष चंद सुराना -
- 3 जो रल रस गजपाल वि वे प्रसिध्दी - 22/2/15
- 4 डॉ सी के तिवारी - गणतन्त्र 22/2/15
- 5 श्रीमती प्रिया तिवारी - शिक्षा प्रसिध्दी -
- 6 डॉ (श्रीमती) जसवीर कौर प्राचार्य -

विषय:

बी एड कक्षा के संचालन के लिए एवं सी.टी.ई. के नियमों एवं शर्तों पर विचार

बैठक में NCTE Regulation 2014 के नियम एवं शर्तों पर विचार किया गया जिस पर विचार के परिणत निष्प्र बातों पर चर्चा किया गया और सहमति बनी कि

- ① महाविद्यालय प्रबंधन NCTE Regulation 2014 के अनुरूप भवन और बर्षिन को संस्थापक के नाम पर प्रन्तरण करने में असमर्थ है।
 - ② NCTE Regulation - 2014 की अन्य शर्तों तथा 16 शिक्षाकीय स्टाफ, दो साल का पाठ्यक्रम तथा प्रतिदिन निर्माण 200 वर्गमीटर शोमेर फंड तथा रिजर्व फंड जैसे शर्तों का पूर्णतः पालन कर सकने में असमर्थ है। इस आशय की सूचना तथा पत्र महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा NCTE भोजपुर WRC, SCRTS रायपुर तथा पं. रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर को भेजी जा चुकी है।
- उपरोक्त रिश्ती के दिनांक 2015-16 में प्रवेश NCTE तथा पं. रविशंकर शुक्ल

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक-सी, 30 द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्र...221/आउशि/अ.शै.प्र./2014
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 16/09/2014

प्राचार्य

एलायन्स इन्स्टीट्यूट ऑफ कामर्स एण्ड मैनेजमेंट
सेक्टर-6 भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- महाविद्यालय में संचालित बीसीए और बीबीए पाठ्यक्रमों को बंद करने
बाबत।


संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 224 दिनांक 11.07.2014

---00---

विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा सत्र 2014-15 से महाविद्यालय में संचालित बीसीए और बीबीए पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता समाप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में निम्न जानकारी उपलब्ध करावें :-

1. बीसीए और बीबीए पाठ्यक्रम की सम्बद्धता समाप्त कराने संबंधी समिति की निर्णय की प्रति।
2. पाठ्यक्रम बंद करने संबंधी समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति।
3. सत्र 2014-15 में महाविद्यालय में संबंधित पाठ्यक्रम में किसी भी छात्र-छात्राओं को प्रवेश नही देने संबंधी घोषणा पत्र।
4. बीसीए और बीबीए पाठ्यक्रम को बंद करने हेतु रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।

(अपर संचालक, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


16/9/14


सहायक संचालक (डी)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र...../आउशि/अ.शै.प्र./2014
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक / /2014

1. कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)। कृपया उक्त महाविद्यालय में बीसीए और बीबीए पाठ्यक्रम में सत्र 2013-14 एवं 2014-15 में प्रवेशित छात्र संख्या की जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


PRINCIPAL
ALLIANCE COLLEGE
SECTOR-6, BHILAI


सहायक संचालक (डी)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
ALLIANCE COLLEGE
SECTOR-6, BHILAI



ALLIANCE

Institute of Commerce & Management

Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G)

19

Ref. No. AICM/271

Date : 16/10/2014

प्रति ,

आयुक्त एवं सचिव ,
उच्च शिक्षा संचालनालय ,
इन्द्रावती भवन ,ब्लाक - C , द्वितीय तल ,नया रायपुर (छ.ग.)

विषय : महाविद्यालय में संचालित बीसीए और बीबीए पाठ्यक्रमों को बंद करने बाबत ।

संदर्भ : 1. कार्यालय ,उच्च शिक्षा संचालनालय, पत्र क्रं. 221/आउशि/अ.शै.प्र./2014 नया रायपुर ,
दिनांक 16/09/2014 ।

2. महाविद्यालय पत्र क्रमांक AICM/224 दिनांक 11/07/2014 ।

महोदय जी ,

विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि आपके द्वारा चाही गयी जानकारी सत्र 2014 - 15 से महाविद्यालय में संचालित केवल बीसीए और बीबीए पाठ्यक्रमों की संबद्धता समाप्त करने हेतु आपके द्वारा निम्नलिखित बिन्दुवार मांगी गयी जानकारी आप के समक्ष उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है ।

1. बीसीए और बीबीए पाठ्यक्रम की सम्बद्धता समाप्त करने हेतु महाविद्यालय के शासी निकाय की 07वीं बैठक दिनांक 06/01/2014 के निर्णय की छायाप्रति संलग्न है ।
2. पाठ्यक्रम बंद करने संबंधी नवभारत समाचार पत्र में दिनांक 11/10/2014 दिन शनिवार के भिलाई - दुर्ग पेज के पृष्ठ क्रमांक 03 में प्रकाशित विज्ञापन की छायाप्रति संलग्न है ।
3. सत्र 2014-15 में महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम में किसी भी छात्र - छात्राओं को प्रवेश नहीं देने संबंधी घोषणा पत्र की मूल प्रति संलग्न है ।
4. बीसीए और बीबीए पाठ्यक्रम को बंद करने हेतु रु 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न है ।


सधन्यवाद

PRINCIPAL
ALLIANCE COLLEGE
SECTOR-6, BHILAI

PRINCIPAL
ALLIANCE COLLEGE
SECTOR-6, BHILAI

प्राचार्य
(डॉ. अमिताभ दत्ता)
PRINCIPAL
ALLIANCE COLLEGE
SECTOR-6, BHILAI

16/10/14





पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1690 / अका. / सम्बद्धता / 2008

रायपुर, दिनांक : 18 / 07 / 2008

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09 जुलाई 2008 में लिये गये निर्णयानुसार महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, समता कॉलोनी, रायपुर को निम्न दर्शित कक्षा / विषयों, छात्र संख्या एवं सत्र के अतिरिक्त अनुभाग (सीट-वृद्धि) अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है (विद्या परिषद् की स्थायी समिति की कार्यवाही के द्वारा कार्यपरिषद् की ओर से अनुमोदित है) :-

क्रमांक	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	बी.बी.ए. प्रथम वर्ष अतिरिक्त अनुभाग 20, पूर्व सं 60	80	2008-09
2	बी.सी.ए. प्रथम वर्ष अतिरिक्त अनुभाग 30, पूर्व सं 30	60	
3	पी.जी.डी.सी.ए. अतिरिक्त अनुभाग 30, पूर्व सं 30	60	
4	बी.कॉम, प्रथम वर्ष अतिरिक्त अनुभाग 60, पूर्व सं 60 सभी अनिवार्य विषय के साथ कम्प्यूटर एप्लिकेशन	120	

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे।
- शिक्षक/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
- महाविद्यालय का संचालन बिना लाभ-हानि के आधार पर किया जावे।
- विश्वविद्यालय परिनियम-27(3)(जे) के प्रावधानानुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु छात्रों से ली जाने वाली शिक्षण शुल्क का अनुमोदन विश्वविद्यालय से करावें।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लेवें।
- अध्यादेश-7(7) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रवेश के अंतिम दिवस के 7 दिवस के भीतर, प्रवेशित छात्रों के नामों की सूची विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करावें।
- कम्प्यूटर, वाणिज्य एवं प्रबंध में परिनियम 28 के तहत नियुक्ति नहीं की गई है, महाविद्यालय में सत्र 2008-09 में प्रवेश इन विषयों में अतिरिक्त सीट पर न दें एवं तत्काल शिक्षकों की नियुक्तियां कराएं तभी प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।
- कम्प्यूटर, वाणिज्य एवं प्रबंध के लिए प्रत्येक में रु. 50,000 की पुस्तकें कय की जाय। बी.बी.ए. के लिए 40-40 के दो सेक्शन संचालित किये जाय।

आदेशानुसार,

[Signature]

सहायक कुलसचिव (अका.)

रायपुर, दिनांक : 18 / 07 / 2008

क्रमांक : 1691 / अका. / सम्बद्धता / 2008

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा / विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला / सम्बन्धित लिपिक (अका.)
- उप कुलसचिव- परीक्षा / परीक्षा सेमेस्टर / नामांकन / वि.क.अ. गोपनीय / वित्ताधिकारी / विकास,
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

[Signature]

सहायक कुलसचिव (अका.)

[Signature]



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक/एम.एड./मान्यता /2012/5746 रायपुर, दिनांक 11.12.2012 के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध निम्नलिखित महाविद्यालयों को सूचना दी गई थी:-

1. प्राचार्य,
इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2. प्राचार्य,
घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय,
आर्य नगर, दुर्ग (छ.ग.)
3. प्राचार्य,
अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कॉलेज के सामने,
अंजोरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
4. प्राचार्य,
प्रगति कॉलेज, सेन्ट्रल एवेन्यू,
चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
5. प्राचार्य,
शास. शिक्षा महाविद्यालय,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
6. प्राचार्य,
पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
7. प्राचार्य,
रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी,
जी.ई. रोड़, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.)
8. प्राचार्य,
शिवा कॉलेज,
मैत्री नगर, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक/एम.एड./मान्यता /2012/5746 रायपुर, दिनांक 11.12.2012 के अनुसार "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 के विनियम 8(5) के अनुसार-शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम चलाने वाले सभी संस्थाओं को 01 अप्रैल 2012 को या इससे पहले कम से कम ग्रेड बी के रूप में प्रत्यायन प्राप्त करना होगा जिसके न किए जाने की स्थिति में संस्थाओं को प्रदान की गई शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम की मान्यता शैक्षणिक सत्र 2012-13 से समाप्त समझ ली जाएगी।"

इसके पश्चात् NCTE की वार्षिक कार्यसमिति की बैठक दिनांक 09 जुलाई 2012 में जिन संस्थाओं ने NAAC में प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लिया है उन संस्थाओं की

एम.एड. की मान्यता अभी समाप्त नहीं करने का निर्णय लिया है। अर्थात् यदि आपकी संस्था को NAAC से प्रत्यायन प्राप्त नहीं है या इसके हेतु आवेदन नहीं किया है तो NCTE आप के संस्था में संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त कर सकती है। उपरोक्त प्रावधान NCTE द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए बनाये गए है।

अतः यदि आपकी संस्था के द्वारा इस दिशा में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है तो NAAC बैंगलूरु प्रत्यायन के लिए 31 जनवरी 2013 के पहले आवेदन कर इसकी जानकारी परिषद् को देंगे।

तत्सम्बन्ध में विदित हो कि— पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों में NAAC प्रत्यायन की जानकारी निम्नलिखित है:—

क्र.	महाविद्यालय का नाम	CGPA	ग्रेड	रिमार्क
1.	इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	2.62	B	
2.	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, ग्राम-जुनवानी, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.59	B	
3.	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-07, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.87	B	
4.	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुड़को, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.7	B	
5.	भिलाई मैत्री कॉलेज, रिसाली सेक्ट, भिलाई, जि-दुर्ग (छ.ग.)	2.79	B	
6.	भारती इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी. मुक्ता नगर, पुलगॉव नाका बाई पास रोड दुर्ग (छ.ग.)	1.85	C	
7.	अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कॉलेज के सामने, अंजोरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.15	B	
8.	शिवा कॉलेज, मैत्री नगर, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.33	B	
9.	घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य नगर, दुर्ग (छ.ग.)	2.45	B	
10.	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	प्रक्रियाधीन	-	LOI 21.09.2013 भेजा
11.	रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, जी.ई. रोड़, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.)	-	-	LOI 15.04.2015 भेजा।
12.	मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड एजुकेशन कोहका रोड़ कुरुद, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)	-	-	LOI 21.03.2015 भेजा।
13.	प्रगति कॉलेज, सेंट्रल एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)	-	-	LOI 30.01.2013 भेजा।
14.	शास. शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	-	-	

टीप:-

1. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, जी.ई. रोड, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.) ने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 15.04.2015 भेजा है।
2. मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड एजुकेशन कोहका रोड कुरुद, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.) ने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 21.03.2015 भेजा है। NCTE भोपाल के पत्र दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of recognized institution of M.Ed. Course"
3. पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) ने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 21.09.2013 भेजा है। महाविद्यालय की नैक प्रत्यायन प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही नैक प्रत्यायन टीम का निरीक्षण हेतु आने की संभावना है। NCTE भोपाल के पत्र क्रमांक WRC/APW03620/725006/NAAC/2013/110264 दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of recognized institution of M.Ed. Course"
4. प्रगति कॉलेज, सेन्ट्रल एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) के पत्रानुसार उसने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 30.01.2013 भेजा है। NCTE भोपाल के पत्र क्रमांक WRC/APW04590/725012/NAAC/2013/10274-75 दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of recongised institution of M.Ed. Course"

तत्पश्चात् महाविद्यालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में W.P.(C) No. 1354 of 2014 द्वारा वाद प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"Considering the submission of learned counsel for the parties it would be proper to hear the matter at an early date and considering that 15th of August is the last date of admission, it would be open for the petitioner, on its own peril, admit the students provisionally."



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अका.) 0771-2262540 (कुलसचिव) फ़ैक्स -0771-2262811,2262607

कार्यालयीन टीप

अधिसूचना क्रमांक-2785/अका./शोध/2015, दिनांक 16.02.2015 द्वारा शोध छात्रों द्वारा शोध सारांश एवं शोध प्रबंध जमा करते समय शोध पत्र का प्रकाशन मान्य किये जाने हेतु मापदण्ड निर्धारित किया गया है।

तदनुक्रम में विभिन्न शोधार्थियों द्वारा निम्नानुसार प्रकाशित शोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।
कृपया मागदर्शन हेतु प्रस्तुत -

Sr.No.	Research Scholar	Subject	Journal
01	संजू सिंह	वाणिज्य	रिसर्च लिंक (शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर)
02	दुर्गा शर्मा	राजनीति विज्ञान	रिसर्च लिंक (शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर)
03	सारिका श्रीवास्तव	गृह विज्ञान	Online International Interdisciplinary Res Journal
04	श्रीमती शिप्रा बब्बर	शिक्षा	शोध संप्रेषण
05	राधेश्याम बघेल	शिक्षा	शोध संप्रेषण
06	श्रीमती प्रभा वर्मा	गृह विज्ञान	नवीन शोध संसार
07	दादू भाई त्रिपाठी	संस्कृत	शोध प्रकल्प पाणिनीया
08	कु.रंजना नीलिमा कच्छप	अर्थशास्त्र	ग्लोबर जर्नल फॉर रिसर्च एनालिसिस रिसर्च जोन शोध समीक्षा और मूल्यांकन
09	केजादास	अर्थशास्त्र	शोध प्रकल्प
10	अंबा शुक्ला	हिन्दी	आन्वीक्षिकी
11	सारिका श्रीवास्तव	गृह विज्ञान	Lab to Land
12	नेहा राय	इतिहास	Mind Society
13	ललिता अग्रवाल	वाणिज्य	Asian Journal of Management
14	खिलेश्वरी साव	राजनीति विज्ञान	Research Journal of Social and Life Sciences
15	शकुन्तला राज	रासायन	World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
16	अनुगृहती जॉन	समाजशास्त्र	Lab to Land
17	पवन दीप कौर	वाणिज्य	Golden Research Thoughts
18	जॉबी पी. ए.	मनोविज्ञान	Indian Journal of Health & Wellbeing

यह भी कि 65 शोध छात्रों द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 16.02.2015 से पूर्व शोध प्रबंध जमा की जा चुकी है जिसमें गोपनीय विभाग द्वारा यह आपत्ति दर्ज करते हुए इस कार्यालय को वापस की गई है कि :-

1. Plagarism Test कराया जाय।
2. शोध पत्र के स्तरीय होने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाय।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 2785/अका./शांघ/2015

रायपुर, दिनांक : 16/02/2015

॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2015 में शोध छात्रों द्वारा शोध सारांश अथवा शोध प्रबंध जमा करने के पूर्व निम्नानुसार अधिसूचित जर्नल में शोध पत्र का प्रकाशन का मान्य किया गया है -

To enhance the quality of research, our university is in the process of redefining and revising the guidelines for "Standard Research Journals. In the recently [January 7, 2014] held meeting of Deans chaired by Kulpati, Pt.RSU following norms have been proposed for rating "Standard Journal":

1. The journal referred in the list of SCI [Science Citation Index]/SSCI [Social Science Citation Index] /A&HCI [Arts & Humanities Citation Index] of Thomson Reuters
2. National Academy Journals
3. All research journals published by Govt. of India or Govt. aided agencies
4. All subject based society journals with at least 20 years of standing with regular publications
5. List of all the research journals approved by other universities recognized by UGC
6. Journal of Pt. Ravishankar Shukla University

क्रमांक 1 पर उल्लेखित जर्नल्स की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.prsu.ac.in पर उपलब्ध है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पं. क्रमांक : 2786/अका./शांघ/2015

रायपुर, दिनांक : 16/02/2015

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
2. प्राचार्य, समस्त सम्वद्ध महाविद्यालय,
कृपया समस्त शोध निर्देशकों एवं शोध छात्रों को आवश्यक रूप से अवगत करावें।
3. अध्यक्ष, समस्त संकाय/समस्त अध्ययन मण्डल,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

N/C (a/c) 16.2.15



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 09.02.2015 में लिये गए निर्णय का पालन प्रतिवेदन।

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 12.01.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 12.01.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा. महासमुंद	M.Sc.-Prev. Botany M.Sc. -Prev. Maths	15 15	2014--15	<p>निरीक्षण तिथि :- 10.01.2015</p> <p>1. एम.एस.सी. गणित (प्रथम सेमेस्टर) में 15 छात्रों के लिये अधोसंरचना पर्याप्त है। महावि. में केवल दो शिक्षक की पदस्थापना है दो शिक्षकों की नियुक्ति और आवश्यकता होगी, पुस्तकालय में पुस्तकें अपर्याप्त है, जिसे विषयवार छात्र अनुपात से क्रय किया जाना आवश्यक है।</p> <p>2. एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र में 15 छात्रों के लिये महाविद्यालय में निम्न सुविधायें हैं - (A) केवल एक कक्षा है जिसमें प्रयोगिक एवं सैद्धांतिक कक्षाएँ लगती हैं, प्रायोगिक उपकरण अपर्याप्त हैं, महाविद्यालय में केवल एक नियमित शिक्षक पदस्थ हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या पर्याप्त है।</p> <p>3. महाविद्यालय में एम.एस.सी. गणित के लिये 15 छात्रों की अनुमति है लेकिन 17 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। इसी प्रकार वनस्पति शास्त्र में 15 छात्रों की अनुमति है लेकिन 21 छात्रों को प्रवेश दिया गया है एवं रसायन शास्त्र में 25 छात्रों के लिए अनुमति है लेकिन 60 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
<p>महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1964-65 शासन का आदेश पृ. क्र. एफ 3-87/2014/38-1 रायपुर दिनांक 22.08.2014 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 07.10.2014</p>						

पालन : आदेश क्र. 2932/अका./सम्बद्धता/2015 दिनांक 28.02.2015 जारी किया गया।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय		
2.	नवीन शासकीय महाविद्यालय मगरलोड, जिला-धमतरी	B.Sc. -III - (F.C.-Hindi & English, Env. Studies, Chemistry, Botany, Zoology.)	60	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 19.01.2015 पं. र.वि.वि. रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 1879/अका./2014 रायपुर दिनांक 17.11.2014 के परिपालन में नवीन शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड जिला-धमतरी का आज दिनांक 20.01.2015 को नियुक्ति त्रिसदस्यीय समिति ने निरीक्षण किया। ग्रंथालय में पुस्तकें कम हैं। शासन से प्राप्त आबंटन से अथवा जनभागीदारी मद से यथाशीघ्र पुस्तकें क्रय की जावें। महाविद्यालय वर्तमान में शास. प्राथमिक शाला के पाँच कमरों में संचालित है। भवन निर्माणाधीन है। बी.एस.सी. की प्रायोगिक कक्षायें शास. महा. कुरुद में भी संचालित होती है। महा. में दो नियमित (कामर्स एवं हिन्दी) एवं 8 संविदा सहा. प्राध्यापक नियुक्त हैं।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।		
		B.A. -III - (F.C.-Hindi & English, Env. St., Geography, Sociology, History)	60					
		B.Com. -III Compulsory Subject, Env.Sc.	60					
महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 2012-13 शासन का आदेश क्र. 2566/एफ 3-65/2011/38-1 रायपुर दिनांक 05.07.2012 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 16.10.2014								
पालन : आदेश क्र. 3309/अका./सम्बद्धता/2015 दिनांक 15.04.2015 जारी किया गया।								
3.	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महा. गरियाबंद	M.A. Final Political Science	40	2014-15	निरीक्षण तिथि - 28.01.2015 महाविद्यालय शासकीय स्कूल में संचालित है। कक्षायें पर्याप्त हैं। राजनीति विज्ञान में एक अतिथि तथा नियमित व्याख्याता कार्यरत हैं। राजनीति विज्ञान में एक सहायक प्राध्यापक तथा रु. 30,000/- की स्नातकोत्तर की पुस्तकें क्रय करने की शर्त पर सत्र 2014-15 से राजनीति विज्ञान में कक्षायें खोलने की 25 सीट की अनुमति हेतु पात्रता है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।		
		महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1983-84 शासन का आदेश क्र. 320/69/आउशि/योजना/13 दिनांक 04.07.2013 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 08.12.2014						
पालन : आदेश क्र. 3307/अका./सम्बद्धता/2015 दिनांक 15.04.2015 जारी किया गया।								

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
4.	शासकीय कोदूराम दलित महावि. नवागढ़, जिला-बेमेतरा	M.A. Final - Sociology B.A. II- History B.A. -III History	20 45 45	2005-06 2005-06 2006-07	निरीक्षण तिथि -13.01.2015 विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 2252/अका./2014 दिनांक 17.12.2014 के परिपालन में M.A. समाजशास्त्र सीट-20 (2005-06) बी.ए. भाग-II इतिहास सीट 45 (2005-06) तथा बी.ए. भाग-II इतिहास सीट 45 (2006-07) के लिए विश्वविद्यालय से संबद्धता हेतु शास. कोदूराम दलित महा. नवागढ़ जिला-बेमेतरा का निरीक्षण दिनांक 13.01.2015 को किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है - 1. महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य है। 2. महाविद्यालय का स्वयं का भवन है एवं अधोसंरचना पर्याप्त है। 3. महाविद्यालय में 01 प्राचार्य एवं 06 सहा.प्राध्यापक का पद स्वीकृत है, जिसमें 2 प्राध्यापक नियमित एवं 05 अतिथि प्राध्यापकों से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। 4. ग्रंथालय में समस्त विषयों को मिलाकर 17470 पुस्तकें हैं, तीनों कक्षाओं के छात्रानुपात में पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1988-89 शासन का आदेश क्र. पृ. क्र. एफ 73-155/2003 /38 रायपुर दिनांक 04.09.2003 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 18.11.2003						
कार्यालयीन टीप :- महाविद्यालय को सत्र 2004-05 में बी.ए. इतिहास प्रथम वर्ष एम.ए. पूर्व समाजशास्त्र की सम्बद्धता प्राप्त की है। महाविद्यालय ने बी.ए. इतिहास द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (सत्र 2005-06 एवं 2006-07), एम.ए. अंतिम समाजशास्त्र (सत्र 2005-06) के लिए दिनांक 07.11.2014 को आवेदन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करने के कारण आदेशानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया।						
पालन : आदेश क्र. 3305/अका./सम्बद्धता/2015 दिनांक 15.04.2015 जारी किया गया।						

03. शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी-सिहावा जिला-धमतरी के एम.ए. अंतिम हिन्दी (छात्र संख्या-50) की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.04.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी-सिहावा जिला-धमतरी को सत्र 2006-07 से एम.ए. अंतिम हिन्दी के स्थान पर एम.ए. पूर्व हिन्दी हो गया था, जिसे महाविद्यालय के निवेदन पर संशोधन किया गया। संशोधन की सूचना ग्रहण की गई।

पालन : पत्र क्र. 2811/अका./2015 दिनांक 19.02.2015 जारी किया गया।

04. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय वैशालीनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर का आदेश पृ. क्र. एफ 73/48/उ.शि./2003 दिनांक 21.04.2003 शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय वैशालीनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग का नाम परिवर्तन कर इंदिरा गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग किये जाने की अनुशंसा की गई।

पालन : पत्र क्र. 2789/अका./2015 दिनांक 18.02.2015 जारी किया गया।

05. श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट समिति द्वारा प्रस्तावित नवीन विधि महाविद्यालय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.07.2012 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.07.2012 के निर्णयानुसार, श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट समिति द्वारा संचालित महाविद्यालयों में परिनियम 27 एवं 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किया है, अतः नया विधि महाविद्यालय (बी.ए.एल.एल.बी. एवं एल.एल.बी.) की स्थापना एवं सम्बद्धता हेतु कार्यवाही को आगामी आदेश तक स्थगित रखा जावे। संबंधित महाविद्यालय को सूचना दी जावे।

पालन : पत्र क्र. 2930/अका./2015 दिनांक 28.02.2015 जारी किया गया।

06. गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर के बी.एस.सी. बायो ग्रुप एवं बी.काम. की स्थायी सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर को आगामी तीन वर्षों के लिए बी.एस.सी. (रसायन, वनस्पति शास्त्र, एवं प्राणी शास्त्र) तथा बी.काम. सभी अनिवार्य विषयों में स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

अशैक्षणिक स्टाफ 2008 से कार्यरत है परंतु परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त नहीं है। अतः 3 माह के अंदर परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति किया जाय अन्यथा 1 वर्ष बाद स्थायी सम्बद्धता समाप्त किया जाएगा।

पालन : पत्र क्र. 3185/अका./2015 दिनांक 30.03.2015 जारी किया गया।

07. सत्र 2014-15 की वार्षिक सम्बद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

1	शासकीय महाविद्यालय गोबरा- नवापारा, जिला- रायपुर (2013-14)
2	शास. कमला देवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
3	शास. के.एल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला-महासमुन्द
4	शास. बी.पी. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, आरंग, जिला-रायपुर
5	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग, जिला-गरियाबंद (2013-14 एवं 2014-15)
6	शास. महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी
7	जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)
8	पं. देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय, साजा, जिला-बेमेतरा (2013-14)

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2013-14 एवं 2014-15 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

पालन : आदेशानुसार पत्र जारी कर दी गई है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. परिनियम क्र.-14 (Honorary Degree) के प्रावधानानुसार गठित समिति द्वारा प्रो. गोवर्धन मेहता, लिली-जुबलियंट चेयर प्रोफेसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद को दिनांक 21 फरवरी, 2015 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामय इक्कीसवाँ दीक्षांत समारोह में परिनियम 14 के प्रावधानानुसार उनकी उपलब्धियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यक्षेत्र में राष्ट्र के

लिए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की डी.एस-सी. (विज्ञान संकाय) की मानद उपाधि प्रदान करने संबंधी अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

पालन : प्रो. गोवर्धन मेहता, लिली-जुबलियंट चेयर प्रोफेसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद को 21वें दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि प्रदान कर दी गई।

02. शोध छात्रों द्वारा शोध रूपरेखा एवं शोध प्रबंध के मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व Plagiarism की जांच के संबंध में सुझाव एवं अभिमत के लिए गठित समिति की अनुशंसा में आंशिक संशोधन करते हुए मान्य किया गया :-

Guidelines for Plagiarism Check

1. A Plagiarism Check using either Turnitin or iThenticate software is mandatory prior to the submission of synopsis and the thesis.
2. The following criteria of exclusion will be followed while generating the Plagiarism Report:
 - a) Quotes
 - b) Bibliography
 - c) Phrases
 - d) Small matches up to 10 words
 - e) Small similarity less than 1%
 - f) Mathematical Formula
 - g) Name of Institutions, Departments etc.
3. If the student has published paper(s) that has/have been included in the thesis should be excluded while checking for Plagiarism.
4. Published Paper will also be checked for plagiarism. If any part of the paper is detected under plagiarism has similarity with the text also included in the thesis will be referred as plagiarism in the thesis.
5. The final Plagiarism report will be issued by the Library and will be forwarded to the Chairman of the DRC of the respective subject.
6. The Plagiarism Verification Report, following its validation by the Chairman of the DRC of the respective subject, will be appended by the student in his/her thesis.
7. The student must use following fonts while typesetting the synopsis and the thesis: (a) For English (Times New Roman/ Arial); (b) For Hindi (Kriti Dev 010/ 011).

पालन : पत्र क्र. 2783/अका./शोध/2015 दिनांक 16.02.2015 जारी किया गया।

03. शोध छात्रों द्वारा शोध सारांश अथवा शोध प्रबंध जमा करते समय कम से कम एक शोध पत्र प्रकाशन के संबंध में विचार कर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार जर्नल में शोध पत्र का प्रकाशन मान्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

To enhance the quality of research, our university is in the process of redefining and revising the guidelines for "Standard Research Journals. In the recently [January 7, 2014] held meeting of Deans chaired by Kulpati, Pt.RSU following norms have been proposed for rating "Standard Journal" :

1. The journal referred in the list of SCI [Science Citation Index]/SSCI [Social Science Citation Index] /A&HCI [Arts & Humanities Citation Index] of Thomson Reuters
2. National Academy Journals
3. All research journals published by Govt. of India or Govt. aided agencies
4. All subject based society journals with at least 20 years of standing with regular publications
5. List of all the research journals approved by other universities recognized UGC
6. Journal of Pt. Ravishnagar Shukla University

पालन : पत्र क्र. 2785/अका./शोध/2015 दिनांक 16.02.2015 जारी किया गया।


उप कुलसचिव (अका.)

Standby
minutes
M. Ed
16/11/15

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक/एम.एड./मान्यता /2012/5746 रायपुर, दिनांक 11.12.2012 के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध निम्नलिखित महाविद्यालयों को सूचना दी गई थी:-

1. प्राचार्य,
इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2. प्राचार्य,
घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय,
आर्य नगर, दुर्ग (छ.ग.)
3. प्राचार्य,
अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कॉलेज के सामने,
अंजोरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
4. प्राचार्य,
प्रगति कॉलेज, सेन्ट्रल एवेन्यू,
चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
5. प्राचार्य,
शास. शिक्षा महाविद्यालय,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
6. प्राचार्य,
पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
7. प्राचार्य,
रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी,
जी.ई. रोड़, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.)
8. प्राचार्य,
शिवा कॉलेज,
मैत्री नगर, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक/एम.एड./मान्यता /2012/5746 रायपुर, दिनांक 11.12.2012 के अनुसार "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 के विनियम 8(5) के अनुसार-शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम चलाने वाले सभी संस्थाओं को 01 अप्रैल 2012 को या इससे पहले कम से कम ग्रेड बी के रूप में प्रत्यायन प्राप्त करना होगा जिसके न किए जाने की स्थिति में संस्थाओं को प्रदान की गई शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम की मान्यता शैक्षणिक सत्र 2012-13 से समाप्त समझ ली जाएगी।"

इसके पश्चात् NCTE की वार्षिक कार्यसमिति की बैठक दिनांक 09 जुलाई 2012 में जिन संस्थाओं ने NAAC में प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लिया है उन संस्थाओं की

एम.एड. की मान्यता अभी समाप्त नहीं करने का निर्णय लिया है। अर्थात् यदि आपकी संस्था को NAAC से प्रत्यायन प्राप्त नहीं है या इसके हेतु आवेदन नहीं किया है तो NCTE आप के संस्था में संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त कर सकती है। उपरोक्त प्रावधान NCTE द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए बनाये गए है।

अतः यदि आपकी संस्था के द्वारा इस दिशा में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है तो NAAC बैंगलूरु प्रत्यायन के लिए 31 जनवरी 2013 के पहले आवेदन कर इसकी जानकारी परिषद् को देंगे।

तत्सम्बन्ध में विदित हो कि- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों में NAAC प्रत्यायन की जानकारी निम्नलिखित है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	CGPA	ग्रेड	रिमार्क
1.	इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	2.62	B	
2.	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, ग्राम-जुनवानी, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.59	B	
3.	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-07, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.87	B	
4.	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुड़को, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.7	B	
5.	भिलाई मैत्री कॉलेज, रिसाली सेक्ट, भिलाई, जि-दुर्ग (छ.ग.)	2.79	B	
6.	भारती इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी. मुक्ता नगर, पुलगाँव नाका बाई पास रोड दुर्ग (छ.ग.)	1.85	C	
7.	अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कॉलेज के सामने, अंजोरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.15	B	
8.	शिवा कॉलेज, मैत्री नगर, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.33	B	
9.	घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य नगर, दुर्ग (छ.ग.)	2.45	B	
10.	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	प्रक्रियाधीन	-	LOI 21.09.2013 भेजा
11.	रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, जी.ई. रोड, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.)	-	-	LOI 15.04.2015 भेजा।
12.	मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड एजुकेशन कोहका रोड कुरुद, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)	-	-	LOI 21.03.2015 भेजा।
13.	प्रगति कॉलेज, सेन्ट्रल एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)	-	-	LOI 30.01.2013 भेजा।
14.	शास. शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	-	-	

टीपः--

1. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, जी.ई. रोड, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.) ने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 15.04.2015 भेजा है।
2. मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड एजुकेशन कोहका रोड कुरुद, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.) ने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 21.03.2015 भेजा है। NCTE भोपाल के पत्र दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of recognized institution of M.Ed. Course"
3. पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) ने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 21.09.2013 भेजा है। महाविद्यालय की नैक प्रत्यायन प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही नैक प्रत्यायन टीम का निरीक्षण हेतु आने की संभावना है। NCTE भोपाल के पत्र क्रमांक WRC/APW03620/725006/NAAC/2013/110264 दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of recognized institution of M.Ed. Course"
4. प्रगति कॉलेज, सेन्ट्रल एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) के पत्रानुसार उसने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 30.01.2013 भेजा है। NCTE भोपाल के पत्र क्रमांक WRC/APW04590/725012/NAAC/2013/10274-75 दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of recongised institution of M.Ed. Course"

तत्पश्चात् महाविद्यालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में W.P.(C) No. 1354 of 2014 द्वारा वाद प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"Considering the submission of learned counsel for the parties it would be proper to hear the matter at an early date and considering that 15th of August is the last date of admission, it would be open for the petitioner, on its own peril, admit the students provisionally."



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



दूरभाष : 0771-2262581 (डीसीडीसी), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण
उपरांत संक्षिप्त विवरण
As on 07.05.2015

S.No.	% of Teachers in Sec-28	No. of Colleges
1	100%	9
2	95.0%	1
3	87.5%	14
4	77.0%	1
5	75%	9
6	74%	1
7	69%	2
8	66%	1
9	62.5%	7
10	53.8%	1
11	50%	8
12	37.5%	5
13	25%	4
14	15.38%	1
15	12.5%	2
16	0%	14
	TOTAL	80

V.R. 8/5/15



**List of Inspected B.Ed. Colleges 2014-15
As on 07-05-2015**

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	निरीक्षण के समय परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी	निरीक्षण के उपरांत महाविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही के बाद नियुक्त शिक्षकों की जानकारी	वर्तमान में महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति	साक्षात्कार (interview) की स्थिति	चयन समिति का गठन
1	सी.आई.टी. बी.एड. कालेज, खसरा नं.-160, स्ट्रीट NH 43, ग्राम- भेलवाडीह, पो.-उपरवारा, जिला-रायपुर (बी.एड. 2012-13)	0/8 = 0%	8/8 = 100%	100%		
2	मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोहका रोड, कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग 2003-04 बी.एड.200+एम.एड.	8/20 = 40%	01+19 20/20 = 100%	100%		
3	सेंट्रल कालेज आफ एजुकेशन, प्लॉट नं.- 1131 /3, रिंग रोड नं.-3, ग्राम-तुलसी, रायपुर (छ.ग.) (बी.एड. 2012-13)	4/8 = 50%	8/8 = 100%	100%		
4	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर जिला-रायपुर (बी.एड. 2006-07)	7/8 = 87.5%	01+08=09 9/8 = 100%	100%		
5	दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (बी.एड. 2010-11)	7/8 = 87.5%	8/08 = 100%	100%		
6	देव संस्कृति कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नालॉजी, ग्राम-खपरी, जि.-दुर्ग (छ.ग.) (बी.एड. 2013-14)	8/8 = 100%		100%		
7	शिवा महाविद्यालय, मैत्री विहार राधिका नगर, सुपेला, भिलाई 2005-06 बी.एड-100 + एम.एड-35 (13)	14/13 = 100%		100%		
8	सेन्ट विसेंट पैलोटी कॉलेज, कापा, रायपुर	08/08 = 100%		100%		
9	रुंगटा इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी भिलाई, कोहका रोड, कुरुद भिलाई, जिला-दुर्ग (बी.एड. 2012-13)	0/8 = 0%	8/8 = 100%	100%		
10	भिलाई मैत्री कॉलेज रिसाली, भिलाई, जिला-दुर्ग एड. 2002-03) बी.एड-200+एम.एड.-35 (बी.)	19/20 = 95%		95%		
11	जी.डी. रुंगटा कॉलेज आफ टेक्नालॉजी, कोहका, कुरुद रोड, भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) 2007-08	07/08 = 87.5%		87.5%		
12	छत्तीसगढ़ कल्याण शिक्षा महाविद्यालय, नंदिनी नगर रोड, अहेरी जिला-दुर्ग (बी.एड.2005-06)	07/08 = 87.5%		87.5%		

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	निरीक्षण के समय परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी	निरीक्षण के उपरांत महाविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही के बाद नियुक्त शिक्षकों की जानकारी	वर्तमान में महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति	साक्षात्कार (interview) की स्थिति	चयन समिति का गठन
13	सेन्ट थॉमस कॉलेज, रूआ बांधा, भिलाई, जिला-दुर्ग 1983-84 (बी.एड.-2002-03) 100	7/8 = 87.5%		87.5%		
14	भिलाई कॉलेज आफ आई.टी. भिलाई, जिला-दुर्ग 2002-03	7/8 = 87.5%		87.5%		
15	दिशा कॉलेज राम नगर, कोटा, रायपुर 2001-02 (बी.एड. 2006-07)	7/8 = 87.5%		87.5%		
16	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कॉलोनी, रायपुर 2006-07 (बी.एड. 2009-10)	7/8 = 87.5%		87.5%		
17	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जी.ई. रोड, आमापारा रायपुर 1996-97	7/8 = 87.5%		87.5%		
18	सोमनी महाविद्यालय, प्लॉट नं.-351/2, एन.एच.-6, सोमनी, राजनांदगांव (बी.एड. 2012-13)	7/8 = 87.5%		87.5%		
19	के.डी. रूंगटा कॉलेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, अटारी, पोस्ट-टाटीबंध, रायपुर (बी.एड. 2012-13)	7/08 = 87.5%		87.5%		
20	कांति दर्शन शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, भिलाई	7/8 = 87.5%		87.5%		
21	उदय कालेज, प्लॉट नं. 108/1, 108/2, नेरा, एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, दुर्ग-490024, (बी.एड. 2006-07)	1/8 = 12.50%	01+06 7/8 = 87.5%	87.5%		
22	सादिपनी एकेडमी, अछोटी, प्लॉट नं.-44, तह.-धमधा, मुरमंदा, जि-दुर्ग (बी.एड. 2012-13)	0/8 = 0%	7/8 = 87.5%	87.5%		महा. पत्र क.एस.ए/बी.एड./ डीसीडीसी/243 दि.07.05.15 के अनुसार वि.वि. 3482/अका/ चयन/2015 दि.05 05.15
23	आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.483/1, डूमर तालाब, कांगेर वैली एकेडमी, रायपुर (छ.ग.) (बी.एड. 2013-14)	0/08 = 0%	7/8 = 87.5%	87.5%		महा. पत्र क.आर.आई.टी.ई.ई./2015/31 दि.08.05.15 के अनुसार एवं वि.वि. पत्र क. 3463/अका/चयन/2015 दि.02.05. 2015
24	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, कुम्हारी, जिला-दुर्ग 2005-06	0/8 = 0%	7/8 = 87.5%	87.5%		SRI/Edu./Aca.Year14-15/131 dtd. 08-05-2015 वि.वि. पत्र क. 3492/अका. /चयन/2015 दि.06.05.2015

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	निरीक्षण के समय परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी	निरीक्षण के उपरांत महाविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही के बाद नियुक्त शिक्षकों की जानकारी	वर्तमान में महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति	साक्षात्कार (interview) की स्थिति	चयन समिति का गठन
25	प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर 2000-01 (बी.एड.2009-10) बी.एड 100+एम.एड.	10/13 = 77%		77%		
26	प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-207, 211, स्ट्रीट-मेन रोड, पो-उतई, जि.-दुर्ग (छ.ग.) (बी.एड. 2013-14)	0/8 = 0%	6/8 = 75%	75%		
27	भिलाई नायर समाजम् कॉलेज, सेक्टर-8 भिलाई, जिला-दुर्ग 2000-01	6/8 = 75%		75%		चयन समिति गठित 16.04.15
28	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको, भिलाई, जिला-दुर्ग 2005-06 बी.एड.-200 + एम.एड-35	15/20 = 75%		75%		
29	जगद्गुरु शंकराचार्य कॉलेज आफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुडको, भिलाई (बी.एड. 2008-09)	06/8 = 75%		75%		
30	अग्रसेन महाविद्यालय, धनोरा, दुर्ग (बी.एड. 2009-10)	6/8 = 75%		75%		
31	कालिन्दी महाविद्यालय, स्वामी एजुकेशन सोसायटी, लालपुर, रायपुर (बी.एड. 2009-10)	6/8 = 75%		75%		
32	विकास शिक्षा महाविद्यालय, देवपुरी फूण्डहर मार्ग, डूमरतराई, रायपुर	06/08 = 75%		75%		
33	श्री शंकराचार्य कॉलेज, सेक्टर-6, भिलाई, जिला-दुर्ग 1997-98 बी.एड.-200 + एम.एड	7/20= 35%	15/20= 75%	75%		पत्र क.637/एस.एस.एम./2015 दिनांक 22.04.2015 के अनुसार 03 नये शिक्षकों ने ज्वाइन किया।
34	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कुम्हारी, जिला-दुर्ग (बी.एड. 2012-13)	1/8 = 12.50%	06/8=75%	75%		SRI/Edu./Aca.Year14-15/130 dtd.08-05-2015 वि.वि. पत्र क. 3424/अका. /चयन/2015 दि.27.04.2015
35	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-7, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग 1962-63 बी.एड-300 एम.एड-35	12/27 = 44.4%	20/27 = 74%	74%		
36	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग 1977-78 बी.एड.+एम.एड.	6/13 = 46%	9/13 = 69%	69%		
37	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा. शंकर नगर, रायपुर 1994-95	09/13 =69		69%		

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	निरीक्षण के समय परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी	निरीक्षण के उपरांत महाविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही के बाद नियुक्त शिक्षकों की जानकारी	वर्तमान में महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति	साक्षात्कार (interview) की स्थिति	चयन समिति का गठन
38	एम.जे. कॉलेज ऑफ आई.टी. जुनवानी रोड, कोहका, जिला-दुर्ग (200 सीट और 15) 2001-02 (बी.एड.2006-07)	10/15 = 66%		66%		
39	सेठ सुगन चंद सुराना महावि., दुर्ग (बी.एड. 2008-09)	5/8 = 62.5%		62.5%		
40	भिलाई महिला महाविद्यालय, हास्पिटल सेक्टर, सेक्टर-9, भिलाई नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग 1978-79	5/8 = 62.5%		62.5%		
41	सेठ बद्रीलाल खण्डेलवाल महाविद्यालय, गौरवपथ, उत्तई रोड, दुर्ग (बी.एड. 2009-10)	5/8 = 62.5%		62.5%		
42	बी.एम. कालेज, प्लॉट नं. 369/3, 370/3, बालोद रोड, ग्राम-कोलिहापुरी, दुर्ग (छ.ग.) (बी.एड. 2012-13)	5/8 = 62.5%		62.5%		
43	महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर (बी.एड. 2005-06)	5/8 = 62.5%		62.5%		
44	दिशा कालेज आफ साइंस एंड कामर्स, प्लॉट नं.-788/1/2, 792/3, दिशा पार्क, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (बी.एड. 2012-13)	5/8 = 62.5%		62.5%		चयन समिति गठन हेतु आवेदन दिनांक 06.04.2015 को आया है
45	सेन्ट्रल इंडिया इंस्टिट्यूट, देवादा रोड, कोपेडीह, राजनांदगांव (बी.एड. 2008-09)	05/8 = 62.5%		62.5%		चयन समिति गठित दिनांक 07.04.2015
46	अपोलो कॉलेज शासकीय वेटनरी के सामने, अंजोरा, दुर्ग, (बी.एड. 2002-03) बी.एड.-100+एम.एड.	7/13 = 53.8%		53.8%	साक्षात्कार हो चुका है।	
47	आर्यवर्त शिक्षा महाविद्यालय, रूआ बांधा, भिलाई, जिला-दुर्ग (बी.एड. 2009-10)	0/8 = 0%	4/8 = 50%	50%		
48	गुरुकुल इंस्टीट्यूट केशोडार रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) (बी.एड. 2009-10)	0/8 = 0%	4/8 = 50%	50%		
49	स्पेक्ट्रम कालेज आफ एजुकेशन, खसरा नं. 1234, ग्राम+पोस्ट-नरदहा, तह.-आरंग, रायपुर (बी.एड. 2012-13)	0/8 = 0%	4/8 = 50%	50%	01 प्राचार्य+ 03 सहा. प्राध्यापक	
50	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एण्ड साइंसेस, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) (बी.एड.2006-07)	4/8 = 50%		50%	01 प्राचार्य+ 05 सहा. प्राध्यापक	
51	विवेकानन्द शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (बी.एड. 2007-08)	04/8 = 50%		50%		चयन समिति गठित 01.10.2012 तथा अनुमोदन अप्राप्त

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	निरीक्षण के समय परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी	निरीक्षण के उपरांत महाविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही के बाद नियुक्त शिक्षकों की जानकारी	वर्तमान में महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति	साक्षात्कार (interview) की स्थिति	चयन समिति का गठन
52	ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाठा, अभनपुर, जिला-रायपुर (बी.एड. 2010-11)	4/8 = 50%		50%	प्राचार्य चयनित 01.04.2015	
53	खालसा एजुकेशन सोसायटी, जी.ए.डी. कॉलोनी, दुर्ग (बी.एड. 2009-10)	4/8 = 50%		50%	साक्षात्कार दि. 12.04.2015 को हुआ।	
54	सेठ फूलचंद अग्रवाल महाविद्यालय, नयापारा राजिम, जिला-रायपुर 1993-94	2/8 = 25%	4/8 = 50%	50%	04 सहा. प्राध्यापक	महा. के पत्र क 3645/2015 दि 08.05.2015 एवं वि.वि. क्रमांक3488/अका/चयन/2015 दि.06.05.2015 के अनुसार
55	कमलाकांत शुक्ला इंस्टीट्यूट, प्लॉट नं.-2661/24, देवरी, भाटापारा, जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा (बी.एड. 2012-13)	1/8 = 12.50%	3/8 = 37.50%	37.5%		
56	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रिसाली भिलाई, जिला-दुर्ग 2001-02	3/8 = 37.5%		37.5%	06 सहा. प्राध्यापक	
57	छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई, जिला-दुर्ग 2003-04	3/8 = 37.5%		37.5%		अनुमोदन किया जा चुका है।
58	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, सुन्दर नगर, रायपुर (बी.एड. 2007-08)	3/8 = 37.5%		37.5%		चयन समिति गठित 01.04.2015
59	दिशा कालेज आफ मैनेजमेंट स्टडीज, ग्राम-पचेड़ा, पोस्ट-मंदिर हसौद, जिला-रायपुर 2010-11	3/8 = 37.5%		37.5%	05 सहा. प्राध्यापक	
60	डी.ए.व्ही. मॉडल कालेज, धमधा रोड, दुर्ग, जिला-दुर्ग (बी.एड. 2012-13)	2/8 = 25%		25%	साक्षात्कार दि. 12.04.2015 को हुआ।	
61	श्री बीरेन्द्र दीपक, शिक्षा महाविद्यालय, प्लॉट नं.-724/1, स्ट्रीट नं.-1, ग्राम + पो.- जामगाँव, जिला-गरियाबंद (बी.एड. 2012-13)	2/8 = 25%		25%		चयन समिति गठित किया गया।
62	कान्फ्लुएन्स कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन राजनांदगांव 2004-05	2/8 = 25%		25%		चयन समिति के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु पत्र भेजा गया।
63	जय हिन्द कालेज, ग्राम+ पोस्ट-महासमुंद, जिला-महासमुंद 2012-13	0/8 = 0%	2/8 = 25%	25%		महा. का पत्र क. जेएचसी/ 898/2015 दि 05.05.2015 एवं वि.वि. क. 3501/ अका/ चयन/2015 दि. 06.05.2015
64	रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलॉजी, गंजपारा, जी.ई. रोड, दुर्ग 2000-01 बी.एड.-100+एम.एड.	2/13 = 15.38%		15.38%		चयन समिति गठित।
65	श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, राजनांदगांव (बी.एड. 2005-06)	1/8 = 12.50%		12.5%		चयन समिति गठित दिनांक 07.04.2015

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	निरीक्षण के समय परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी	निरीक्षण के उपरांत महाविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही के बाद नियुक्त शिक्षकों की जानकारी	वर्तमान में महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति	साक्षात्कार (interview) की स्थिति	चयन समिति का गठन
66	प्रतिभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बालरसी, सरायपाली, जिला-महासमुद (छ.ग.) 493558 (बी.एड. 2011-12)	01/08 = 12.50%		12.5%	03 सहा. प्राध्यापक	अनुमोदन हो चुका है
67	समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम-फरी, पोस्ट-बीजभाटा, जिला-बेमेतरा (बी.एड. 2012-13)	0/8 = 0%		0	06 सहा. प्राध्यापक + 01 प्राचार्य	
68	शैल देवी महाविद्यालय, प्लॉट नं.-763, स्ट्रीट नं.-25/35, ग्राम-अण्डा, जिला-दुर्ग (बी.एड. 2012-13)	0/8 = 0%		0	साक्षात्कार हो चुका है।	
69	भिलाई स्कूल आफ एजुकेशन एंड रिसर्च, प्लॉट नं.-1268, ग्राम-चंदखुरी, दुर्ग (बी.एड. 2012-13)	0/8 = 0%		0	साक्षात्कार 12.04.2015 को हो चुका है।	
70	भारती इंस्टी. ऑफ आई.टी. मुक्ता नगर, पुलगांव नाका, बाई पास रोड, दुर्ग 2000-01 बी.एड. + एम.एड.	0/13 = 0%		0		चयन समिति का गठन 30.12.2013 को किया गया है। अनुमोदन नहीं कराया गया है।
71	श्यामबालाजी कालेज, प्लॉट नं.616/89, 716, 13,14 ग्राम+पो -महासमुद, जि-महासमुद(छ.ग.) (बी.एड. 2014-15)	0/8 = 0%		0		चयन समिति 18.09.2014 को बना। अनुमोदन अप्राप्त।
72	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेड़ा, अभनपुर, जिला-रायपुर (बी.एड. 2012-13)	0/8 = 0%		0	06 सहा. प्राध्यापक	
73	शाम्भवी स्कूल आफ एजुकेशन, प्लॉट नं.334/1, 334/2, स्ट्रीट -देवरभाटा, ग्रा.-धुसेरा, पो.-अभनपुर, रायपुर (बी.एड. 2012-13)	0/8 = 0%		0		चयन समिति गठित हो चुकी है। 15.04.2015
74	कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ग्राम+पो.-नरदहा, रायपुर (छ0ग0) (बी.एड. 2013-14)	0/8 = 0%		0	01 प्राचार्य+07 सहा. प्राध्यापक	
75	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-129, ग्राम-धनेली, पो.-माना कैम्प, रायपुर (बी.एड. 2013-14)	0/8 = 0%		0	05 सहा. प्राध्यापक+01 प्राचार्य	
76	कोलम्बिया कालेज, प्लॉट नं.-97, ग्राम-टेकारी, पो.आ.-मांडर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-493111 (बी.एड. 2013-14)	0/8 = 0%		0		चयन समिति गठित दिनांक 11.02.2015
77	रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं. 581/2, ग्राम-पचेड़ा, पो. कुरू, तह.-अभनपुर, रायपुर (बी.एड. 2014-15)	0/8 = 0%		0		अधूरी जानकारी। पत्र भेजा गया। विज्ञापन प्रस्तुत।

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	निरीक्षण के समय परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी	निरीक्षण के उपरांत महाविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही के बाद नियुक्त शिक्षकों की जानकारी	वर्तमान में महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति	साक्षात्कार (interview) की स्थिति	चयन समिति का गठन
78	रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन, प्लॉट नं.-131/ 9-10-1, ग्राम-- धनेली, पो.-माना, तह.-धरसीवा, रायपुर (बी.एड. 2014-15)	0/8 = 0%		0		अधूरी जानकारी। पत्र भेजा गया। विज्ञापन प्रस्तुत।
79	रॉयल कॉलेज, लालबाग, राजनांदगांव (बी.एड. 2009-10)	0/8 = 0%		0	साक्षात्कार हो चुका है दिनांक 14.02.15 को।	चयनित उम्मीदवारों की सूची वि.वि. द्वारा जारी।
80	श्रीराम कालेज, ग्राम + पोस्ट-- सारागाँव, रायपुर बी.एड. 2012-13	0/8 = 0%		0		चयन समिति गठित किया गया। 15.04.15